हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

9 अगस्त, 1975

खंड 4, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

शनिवार, 9 अगस्त, 1975

	पृश्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1)1
अध्यक्ष द्वारा घोशणा	
(i) सभापतियों की तालिका	(1)3
(ii) याचिका समिति	(1)4
सचिव द्वारा घोषणा	(1)4
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(1)5
सत्र क दौरान केवल सरकारी कार्य करने तथा हरियाणा	(1)5
विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों	
के कुछ नियमों के निलम्बन के लिये प्रस्ताव	
सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज–पत्र	(1)6
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(1)6
संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संकल्प	

दी हरियाणा स्टेट लैजिसलेचर आफिसर्ज, मिनिस्टर्ज (1)22
एंड मैबर्ज (मैडिकल फैसिलिटीज) बिल, 1975
दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली(अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) (1)24
अमैंडमैंट बिल, 1975
दी रोहतक यूनिवर्सिटी बिल, 1975 (1)25
दी हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चर इनडैटिडनैस बिल, 1975
(1)30
दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज आफ मैबर्ज) (1)39
सैंकिड अमैंडमैंट बिल, 1975
अनुपस्थिति की अनुमति (1)42

हरियाणा विधान सभा

शनिवार, 9 अगस्त, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चंडीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Obituary References.

मुख्यमंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारे विधान सभा के पिछले अधिवेशन से आज के अधिवेशन तक दो हमारे साथी चल बसे।

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Sadhu Ram, M.P., on the 1st August, 1975.

Sh. Sadhu Ram was born in January, 1909. He joined the Congress when he was a student. He was President of the Punjab and All States Scheduled Castes Federation in 1942. He was twice member of the restwhiel PEPSU Legislative Assembly and Deputy House Minister in that State in 1954.

He was General Secreatary of the Praja Mandal, Kapurthala State, and of the All India Depressed Classes League. He was President of the Northern Railway Vendors Union, New Delhi, and Ferozepur Zonal Railway Users' Consultative Council.

He had been a member of the Lok Sabha since 1957.

In his death, the country has lost a patriot, a devoted social worker and a champion of the cause of the weaker sections of society. The House resolves to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

This House places or record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Bhagirathi Mahapatra, former M.P., on the 2nd August, 1975.

Sh. Bahagirathi Mahapatra was born in 1892. He received his educaiton in Cuttak and Calcutta and started his career as an advocate. He was drawn into politics in 1921 and he took part in the 'Quit India' movement.

He was a Member of the Central Legislative Assembly from December, 1945 to August, 1947. He was elected to the Rajya Sabha in 1956 and remained its Member till 1962.

In his death, the country has lost a freedom fighter from the old guard. The House resolves to send its heart-felt concolences to the members of the bereaved family.

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, 30 तारीख को जो हमारा विधान सभा का अधिवेशन समाप्त

हुआ उस सैशन के शुरू होने पर भी हमारे सामने एक लम्बी सूची थी और उस सूची में ऐसे सात महान् व्यक्ति थे जो हमारे बीच से चले गये थे और आज उसके बाद जब हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आज भी दो महान् योद्धा, जिनका राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर इस देश के अन्दर काफी योगदान रहा है वे भी आज हमारे बीच में नहीं है। यह बड़े दु:ख की बात है। श्री साधुराम जी जो एम.पी. थे उनसे कई दफा मुझे मिलने का इत्तफाक हुआ है। ये आल स्टेट्स शडयूल्ड कास्टस फैडरेशन के जनरल सैक्रेटरी थे जिसके अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम जी हैं और मै। भी इसी एक सभी का प्रेजीडैन्ट हूं। इसी नाते से हम कई बार इकट्ठे रहे हैं और कई बार देश की आर्थिक नीति पर विचार विमर्श करते रहे हैं। उनके दिन में स्पीकर साहब, एक लग्न थी और वे हमेशा यह बात चाहते थे कि जब तक देश के अन्दर गरीबों की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी उस वक्त तक हम बराबरी लाने में असमर्थ रहेंगे और वे रात–दिन इसी लग्न में रहते थे कि किस तरह से आर्थिक हालत सुधर सकती है और इस बारे में क्या–क्या उपाय सरकार के सामने रखे जाएं जिनके जरिये गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। वे बहुत बड़े सोशल वर्कर भी रहे हैं। राजनीति में भी उनका बड़ा हाथ रहा है और पैप्सू के टाईम में वे डिप्टी होम मिनिस्टर भी रहे हैं। राजनीति में भी उनका बड़ा हाथ रहा है और पैप्सू के टाईम में वे डिप्टी होम मिनिस्टर भी रहे हैं। श्री साधु राम जी सन् 1957 से एस.पी. रहे हैं। एक और सज्जन थे श्री चूनी लाल जी, जो एम.पी.

थे ओर जिनकी 66 में मृत्यु हो गई थी। उनके साथ भी मैंने कई बार इन्हें बात करते हुए देखा था कि किस तरह से आर्थिक प्रोग्राम को लेकर प्रधानमंत्री से मिला जाए। इस बारे में भी उनका बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था लेकिन आज वह आवाज, स्पीकर साहब, हमेशा–हमेशा के लिये बन्द हो गई है। स्पीकर साहब, मौत के आगे किसी का चारा नहीं है। मौत के बड़े लम्बे हाथ होते हैं, जो आता है वह जाता भी है और इसके आगे किसी का चारा नहीं चलता। छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे डाक्टर हो, पोलीटीशन हो, चाहे कोई हो, उसको एक न एक दिन इस संसार से जाना ही है। आज जो दो पवित्र हस्तियां हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बारे में, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनके दुःखी परिवारों को यह बोझ, यह दुःख बरदाश्त करने की शक्ति दे जिससे वह इस दुःख का निवारण कर सकें और साथ ही उन दो पवित्र हस्तियों की रूह को शान्ति दे। इसके साथ–साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है, मैं उनके साथ अपने आपको जोड़ता हूं और अपनी श्रद्धांजति भेंट करते हुए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन दो महान् हस्तियों के परिवारों को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद): माननीय स्पीकर साहब, मैं भी इन दो स्वर्गवासी आत्माओं को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे भी इन दो महान् हस्तियों से मिलने का मौका मिला है और मैं अनुभव करता हूं कि ये दोनों पवित्र

आत्माएं एक बड़े अच्छे कुशल कार्यकर्ता थे। अपनी समझ के मुताबिक इन्होंने अपने कामों से देश को काफी फायदा पहुंचाया। स्पीकर साहब, जो भी प्राणी इस संसार में आया है वह अवश्य जाएगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि आखिर हम सब ने एक दिन तो जाना ही है तो फिर क्यों न अपनी जिनेगी के अन्दर एक एक क्षण, एक एक सांस के साथ अच्छे और लोगों की भलाई के काम करें जिससे लोगों का भला हो और देश का भी भला हो। तो मैं इन महानुभावों को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए यह कहूंगा कि इस देश के अन्दर हरेक नागरिक को अच्छे अच्छे काम करने होंगे ताकि हम समाज और देश को आगे बढ़ा सकें। मैं परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और साथ ही उनके दु:खी परिवारों को यह दु:ख सहन करने की हिम्मत दे। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर इन दो पवित्र आत्माओं, महानुभावों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, since we met last we have lost two more Parliamentarians.

Sh. Sadhu Ram, Member, Lok Sabha, died of a heart attack on 1st August, 1975. He was elected first to the Pepsu Legislative Assembly and later has been a Member of the Lok Sabha since 1957. He did a commendable work for the uplift of the depressed classes and weaker sections of the society.

Sh. Bhagirathi Mahapatra was an old freedom fighter. He was a member of the Centrla Assembly from 1945

to 1947 and later remained a Member of the Rajya Sabha from 1956 to 1962.

If fully associate myself with the deep feelings that have been expressed about the passing away of the great leaders and I shall no doubt convey the sympathies of this House to the bereaved families. Now I request you to kindly observe silence for two minutes while standing as a mark of respect to the deceased.

(At this stage the House stood in silence fro two minutes as a mark of respect to the deceased.)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(i) सभापतियों की तालिका

Mr. Speaker: Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen :-

1. Sh. Nihal Singh.

2. Rao Dalip Singh.

3. Ch. Ishwar Singh.

4. Ch. Manphul Singh.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker: Under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions :-

1. Smt. Lekhawati Jain (Deputy Speaker) Ex-Officio Chairman.

2. Rao Dalip Singh.

3. Sh. Gulab Singh Jain.

4. Ch. Phool Chand (Rohat), and

5. Ch. Phool Chand (Mullana)

Mr. Speaker: Now the Secretary to maek some Announcements.

सचिव द्वारा घोशणा

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a Statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its last Session held in July, 1975, and have since been assented to by the Governor.

STATEMENT

1. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1975.

2. The Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill. 1975.

3. The Punjab Panchayat Samities (Haryna Amendment and Validation) Bill, 1975.

4. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1975.

5. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1975

6. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1975

Sir, I also beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution)Fortieth Amendment) BGill, 1975, as passed by the Houses of Parliament :-

1. Letter No. RS. 1/45/75-B, dated the 8th August, 1975, received from the Secretary-General, Rajya Sabha.

सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य करने तथा हरियाणा विधान सभी के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के कुछ नियमों के विलम्बन के लिये प्रस्ताव

2. The Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975, as introduced in Lok Sabha (English and Hindi Versions).

3. The Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975, as passed by the Houses of Parliament (English and Hindi Versions).

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned isne die.

Mr. Speaker: Question is –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned isne die.

The motion was carried.

सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य करने तथा हरियाणा विधानसभा

के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के कुछ नियमों के

विलम्बन के लिये प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I bet to move –

That this House resolves that the current Session of the Haryana Vidhan Sabha (Haryana Legislative Assembly) being in the nature of an emergent Session to transact certain urgent and important Government business, only Government business be transacted during the Session and no other business whatsoever including Questions, Calling Attention Notices and any other business to be initiated by a Private Member be brought before or transacted in the House during the Session and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly do hereby stand suspended to that extent.

Mr. Speaker : Motion moved –

That this House resolves that the current Session of the Haryana Vidhan Sabha (Haryana Legislative Assembly) being in the nature of an emergant Session to transact certain urgent and important Government business, only Government business be transacted during the session and no other business whatsoever including Questions, Calling Attention Notices and any other business to be initiated by a Private member be brought before or transacted in the House during the Session and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana

Legislative Assembly do hereby stand suspended to that extent.

Mr. Speaker : Question is –

That this House resolves that the current Session of the Haryana Vidhan Sabha (Haryana Legislative Assembly) being in the nature of an emergetn session to transact certain urgent and important Government business, only Government business be transacted during the session and no othe business whatsoever including Questions, Calling Attention Notices and any other business to be initiated by a Private Member be brought before or transacted in the House during the Session and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly do hereby stand suspended to that extent.

The motion was carried.

सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज–पत्र

Minister of State for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

Sir, I beg to re-lay on the Table the Co-operation Department's notification No. G.S.R. 57/P.A. 25/61/S.85/Amd.(1)/75, dated the 11th June, 1975, regarding

the Punjab Co-operative Societies (Haryana First Amendment) Rules, 1975, as required under Section 85(3) of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961.

I beg to re-lay on the Table the Home Department's notification No. G.S.R. 43/H.A.35/73/S.25/Amd.(1)/75, dated the 10th April, 1975, regarding the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (First Amendment) Rules, 1975, as required under section 25(3) of the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1973.

I beg to re-lay on the Table a copy of the Health Department's notification no. G.S.R.2/P.A.16/65/S.53/75, dated the 8th January, 1975 regarding the Haryana Homoeopathic practitioners (General) Rules, 1975, as required under Section 55 of the Punjab Homoeopathic Practitioners Act, 1965.

I beg to re-lay on the Table thr Transport Department's notification No. GSR 34/C.A.4/39/Ss. 24 and 41/75, dated the 4th April, 1975, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana 1st Amendment) Rules, 1975, as required under Section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

I beg to re-lay on the Table the General Administration Department's notification no. G.S.R. 8/Const./Act.320/Amd.(3)/75, dated the 17th January, 1975, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1975, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

I beg to re-lay on the Table the General Administration Department's notification No. G.S.R. 15/Const./Art 320/Amd. (4)/75, dated the 10th February, 1975, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions)Fourth Amendment Regulations, 1975, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Minister of State for Irrigation & Power: (Sardar Harmohinder Singh Chatha)

Sir I beg to lay on the Table the Housing Department's notification No. G.S.R. 8-/HA-20/71/S-73/75, dated the 25th July, 1975, regarding the Housing Board, Haryana (Conditions of Service of the Chairman and Members) Amendment Rules, 1975, as required under Section 73(3) of the Haryana Housing Board Act, 1971.

संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संकल्प

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso

to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975"

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975."

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर महोदय, कांस्टीच्यूशन में जो 39वीं अमैंडमैंट की गई है और उसकी रैटिफिकेशन के लिये जो रैजोल्यूशन हाउस के सामने हैं, मैं उसकी स्पोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। धारा 40 तो अभी मूव नहीं हुई है। धारा 39 आर्टिकल 71 से कंसर्न रखती है और आर्टिकल 71 प्रैजीडैंट और वाइस–प्रैजीडैंट की इलैक्शन पैटीशन को परटेन करती है। कंसर्न्ड ऐक्ट में अमैंडमैंट करके कोर्टस पर यह बड़ा एहसान किया है। तमाम कोर्ट से वैलकम करते हैं। गिरी साहब जब कोर्ट में पेश हुए तो जज खुद अपनी एम्बरेसिंग

पोजीशन महसूस कर रहे थे। वे महसूस कर रहे हैं कि आदमी जो अप्वांयटिंग एथौरिटी है appears before a person who has been appointed by him and whether to continue or not to continue this practice. इसकी पावर अगर उन लोगों को दी जाये जिनकी वह खुद एप्वांयट करे तो यह एक इनकांगरूएंट चीज है। सावरंटी लाई करती है चुने हुये लोगों में, और चुने हुये लोगों ने कास्टीच्यूशन बनाया। पार्लियामैंट को हक है कि वह उस कांस्टीच्यूशन को अमैंड कर ले, यह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा भारी एहसास है क्योंकि जो एम्बरेसिंग पोजीशंज वहां बार–बार उठती हैं उनसे उनको बचा लिया गया है उनकी जिम्मेवारी के एहसास को देखते हुये। स्पीकर साहब, मैं अमैंडमैंट पर बोल रहा हूं और मै। इस अमैंडमैंट के बारे में सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि जब दफतरी साहब यहां आये थे हरियाणा में जिस वक्त चौ. जय सिंह राठी वाला केस हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि कांस्टीच्यूशन बनाने वालों को यह मालूम नहीं था कि कांस्टीच्यूशन की ऐक्चुअल वर्किंग क्या होगी क्योंकि वे तमाम लोग वे थे जिन्होंने डेढ़ सौ साल की इंगलिश ट्रेनिंग ली हुई थी। अठारहवीं सदी आधी, उन्नीसवीं सदी सारी और बीसवीं सदी का जो लिब्रेलिजम था वह उन्होंने अडौप्ट कर लिया। ऐक्चुअल फंक्शनिंग में यह जैंटलमैन के लिये बना था। क्या डिफिकल्टीज होंगी और क्या किसी को पता था कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी इलैक्शन पैटीशंज या दूसरी चीजें इर्रिसपांसिबिलिटी के साथ कोर्ट में जाया करेंगी? जुरिसडिक्शन की मजबूरी में

उनको अटैंड करना पड़ता है चाहे वह कितनी ही एम्बरेसिंग पोजीशन महसूस करें। तो उस एम्बरेसिंग पोजीशन से कोर्ट को बचाने के लिये यह अमैडमैट है, बड़ी हैल्दी अमैंडमैंट है और इसको मैं स्पोर्ट करता हूं। आर्टिकल 71 की जगह जो आर्टिकल अमैंडमैंट के बाद सबस्टीच्यूट हुआ है वह बड़ा हैल्दी आर्टिकल है तमाम जुडीशरी इसको वैल्कम करेगी।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहब, आज हम एक मोड़ पर खड़े हैं। हो सकता है कि इस दिन के बाद मुझे यहां बोलने का अवसर न मिले। इसलिये मैं यह समझती हूं और मैं अपनी कमजोर आवाज इस अमैंडमैंट के खिलाफ नोट करवाना चाहती हूं। कानून और विधान, जो हमारे बुजुर्गो ने जेलें काटकर इस देश को दिया, उसके सामने छोटा बड़ा, गरीब अमीर सब बराबर हैं। मनु ने इस देश को एक विधान दिया था। उस में जातियों के हिसाब से दंड दिये जाते थे। ब्राह्मण को या हरिजन को एक से ही अपराध के लिये भिन्न भिन्न दंड दिये जाते थे। फिर उस मनु वाले विधान में स्पीकर साहब क्या बराई थी? स्पीकर साहब इस देश में छः सौ के करीब रजबाड़े थे। उन रजवाड़ों को खतम करके, एक आदमी को चाहे वह भीखमंगा है, चाहे वह स्लम्ज में रहता है, चाहे वह कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक रहता है, उन सबको एक वोट का अधिकार, कानून के सामने एक से और सब तरह से उनको एक प्रकार से बरतने का एक विधान जो हमारे सामने था, उसमें आज हम यह नहीं कर सकते कि देश

के सामने हम एक व्यक्ति को एक तरफ रखें और दूसरे देश को दूसरी तरफ रखें। तो आज मेरी आत्मा ने, मेरी कान्शौंस ने, लोगों ने जिन्होंने चार बार मुझे एम.एल.ए. बनाया है, मुझे आज वह कर्त्तव्य पूरा करने के लिये मजबूर किया कि मैं व्यक्तियों के मुकाबले में देश के लिये अपनी कमजोर आवाज उठा सकूं। स्पीकर साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं इस अमैंडमैंट के खिलाफ हूं। देश के लिये कोई भी बड़ा नहीं है, मैं इतनी ही बात आपके सामने कहना चाहती हूं। स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिन्द।

श्री राम धारी गौड़ (गोहाना): स्पीकर साहब, लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखाहै मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो अमैंडमैंट है यह बड़ी ही अहम है क्योंकि देश की अखंडता, सुरक्षा, उन्नति और विकास को जारी रखने के लिये इसका करना बहुत जरूरी था। जिन चार महानुभावों के लिये यह मोशन रखी गई है, उनको इतनी प्रोटक्शन मिलनी ही चाहिये क्योंकि उनका सम्बन्ध देश से बावस्ता है वह अकेले नहीं हैं। ये इंस्टीटयूशंज बहुत इम्पाटैंट हैं अगर इनको छोटी छोटी बातों के लिये अदालतों में घसीटा जायेगा तो यह ठीक बात नही लगती है। जैसे कि दौलता साहब ने भी कहा जो व्यक्ति जिन जजों को नियुक्त करता है अगर वही उनके सामने जाकर कोर्ट में खड़ा हो और फिर उनको वहां पर क्रास एग्जामिन किया जाये तो यह शोभा नहीं देता है। इसलिये मैं

अर्ज करता हूं कि यह व्यक्तिगत बात नहीं है बल्कि यह देश के हित और मर्दाया का सवाल है कि देश को कैसे चलाना है, कैसे आगे ले जाना है। तो मैं इस अमैंडमैंट का अनुमोदन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, जो उन्नतालीसवां संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों ने निर्विरोध पास किया है उसका समर्थन करने के लिए आज हमारे सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी प्रकार जानते हैं कि संविधान अपने आप में लक्ष्य नहीं है बल्कि यह लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। अध्यक्ष महोदय, यह साध्य नहीं है साधन है। इसके द्वारा हम देश को, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं और देश के बढ़ते हुए विकास की रफतार को बिना किसी विरोध के आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो समय के अनुसार जब भी कभी ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है कि संविधान की किसी धारा से राष्ट्र के बढ़ते हुये कदम रूकते हैं या किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो हम संविधान के संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने का प्रोविजन भी हमारे संविधान के अन्दर है। जैसा कि दौलता साहब ने बताया वास्तव में यह बड़ी बिडम्बना है और बड़ी विचित्र बात है कि जो व्यक्ति, जो महान नेता और जो महान अथौरिटी किसी को नियुक्त करती है वह उसी के सामने पेश होकर अपना वक्तव्य दे या अपना उत्तरदायित्व उनके सामने पेश

करे, यह बड़ी ही विचित्र बात है। छिले दिनों, आप जानते हैं, और सारा देश जानता हैं कि संविधान में जो बात निहित है उसको सामने रखते हुये और न्यायपालिका का सम्मान और आदर करते हुए हमारे राष्ट्रपति जी स्वयं अदालत में पेश हुए और उन्होंने वहा अपना वक्तव्य दिया। मैं नहीं जानता और मुझे यह मालूम नहीं कि जुडीशरी के लोगों ने उसे कैसा महसूस किया लेकिन सारे देश ने इस बात को महसूस किया कि यह बड़ी ही विचित्र और अनोखी बात है। आज देश के अन्दर जैसे हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए यह बहुत आवश्यक था और बहुत जरूरी था कि संविधान में यह संशोधन किया जाये। तमाम देश की जनता संसद सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती है कि उन्होंने बहुत ही जरूरी संशोधन संविधान के अन्दर किया है। कोई भाई या माननीय सदस्य यह बात कहे कि

10.00 बजे

राष्ट्र में सब बराबर हैं तो उस बराबरी में, उस समानता में इस संशोध्यशन के द्वारा अध्यक्ष महोदय, कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमारे संविधान के अनुसार आज भी इस देश के गरीब और अमीर बराबर हैं। झोंपडी में रहने वाला और बड़े–बड़े महलों में रहने वाला जो व्यक्तिहै उसका एक वोट है, उसका देश के अन्दर, राष्ट्र के अन्दर एक ही दर्जा है, यहां किसी प्रकार की जात पात की बात नहीं है, जैसा कि सदन में हवाला दिया गया है कि ब्राह्मण के लिए कानून अलग है, हरिजन के लिए अलग है, यह अनुचित बात

है क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्ाि हमारे संविधान में नहीं है। इस संशोधन से इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हम किसी के साथ किसी प्राकर का पक्षपात करते हों। अध्यक्ष महोदय, हमारे राश्ट्रपति का पद बड़ा गरिमापूर्ण पद है, हमारे देश का सर्वोच्च पद है। यह पद किसी जाति से नहीं, धर्म से नहीं जात पात से नहीं, जन्म से नहीं बल्कि इसलिए महान है, इसलिए सर्वोच्च है कि हिन्दुस्तान की 55 करोड़ जनता ने उन्हें चुकर इस सर्वोच्च पद पर बैठाया है। यह जनता की राय का आदर करना है न कि ऊंच नीच और पक्षपात करना है। अगर कोई सदस्य इस बात को महसूस करता है और इस संशोधन को इस दृश्टि से देखता है तो मैं समझता हूं कि वह उनका भ्रम है, वह व्यक्ति उसकी वास्तविकता को, असलीयत को नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करू।गा, शायद ही कोई सदस्य इससे किसी प्रकार का मतभेद रखता हो कि यह अमैंडमैंट पारित न हो। पार्लियामैंट के दोनों सदनों में बिना किसी विरोध के बिना किसी मुखाल्फित के यह बिल पास हुआ, इस संशोधन का यहां भी अनुमोदन किया जाए और लोकसभा तथा राज्यसभा के सदन के सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाए कि उन्होंने बड़ा आवश्यक संशोधन संविधान मैं किया है।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने बहुत ही अहम रैटिफिकेशन, चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश की है। मैं इसका समर्थन करने के लिए

बड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, बहुत मुदत से मेरे दिन में यह चीज थी कि हमारे संविधान में सुधान हो। हम राश्ट्रपति को कांस्टीच्युशनल हैड मानते हैं और कांस्टीच्युशनल हैड होने के नाते यह प्रोवीजन किया गया है कि राश्ट्रपति कोर्ट में आनसरेबल नहीं होना चाहिए, जैसे इंग्लैंड में किंग, अमेरिका में राश्ट्रपति और इसी तरह दूसरे देशों के अन्दर जो कांस्टीच्युशनल हैड्ज हैं, उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला जिसके परिणामस्वरूप वे किसी कोर्ट में आनसरेबल हुए हों, लेकिन हिन्दुस्तान में पिछले दिनों ऐसा मौका आया। पिछले साल राश्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए गए तो सारे हिन्दुस्तान की निगाहें उन जजिज की तरफ और राश्ट्रपति की तरफ लगी हुई थीं कि कौन अथौरिटी राश्ट्रपति को क्रॉस–क्वैश्चन करेगी, कौन ऐग्जामिन करवाएगा और किस तरह से क्रॉस–क्वैश्चन्ज पूछे जाएंगे, यह शक सब लोगों के सामने था। जजिज को राश्ट्रपति अप्वायंट करता हैं ऐसी स्थिति में इस केस में जजिज किस तरह निर्णय देंगे, इस तरह सारे राश्ट्र की निगाहें लगी हुई थी। मैं समझता हूं कि यह बेहतर होता अगर यह कांस्टीच्युशनल अमैंडमैंट उसी वक्त आ जाती जब राश्ट्रपति ने जजिज के सामने पेश होना था लेकिन 'देर आयद दुरूस्त आयद' वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है। आर्टिकल 368 के सम्बन्ध में जो यह कांस्टीच्युशनल अमेंडमैंट आई, मैं समझता हूं इससे छोटे–बड़ें होने की कोई बात नजर नहीं आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन दिलों में है जो दिल दिलों के अन्दर रहते हैं और वे दिल जाहिरा तौर पर प्रकट नहीं होते बल्कि शैल्टर देते

हैं। स्पीकर साहब, उन जजिज की नियुक्ति राश्ट्रपति द्वारा होती है। अगर किसी भी इलैक्शन पैटीशन में, जैसे पिछले दिनों राश्ट्रपति के अगेन्स्ट इलैक्शन पैटीशन हुई थी। उस पैटीशन में जो जो इम्पलीकेशन्ज जजिज के सामने आई और राश्ट्रपति के क्रांस एग्जामिन करने में जो–जो दिक्कतें और आपत्तियां आई, उनका रिऐक्शन ही यह अमैंडमैंट है। इस रेटिफिकेशन से राश्ट्रपति को औहदा जो कि एक अहम औहदा है, किसी भी कोर्ट में आनसरेबल नहीं है। हाई कोर्ट ने अगर किसी केस में मौत की सजा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा दी है तो कांस्टीच्युशन के मुताबिक हैड आफ दी कांस्टीयुशन को ऐसे केसिज में मरसी–पैटीशन सुनने का अधिकार हैं ऐसी स्थिति में होई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी हुई सजा जब राश्ट्रपति तोड़ सकता है तो राश्ट्रपति का उन जजिज के सामने पेश होना बड़ी आपत्तिजनक बात थी। स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि चाहे कोई कमजोर आवाज हो, चाहे जोरदार आवाज हो, आवाज छोटी–बड़ी हो सकती है लेकिन इस रैटिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह रैटिफिकेशन बड़ी अहम है। जनता का जो हैड है उसको कोर्ट के सामने आनसरेबल नहीं होना चाहिए। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए पार्लियामैंट के दोनों हाउसिज में यह अमैंडमैंट हुई है और इस सदन में रैटिफिकेशन के लिए आई है। इसमें मुखाल्फित करने की कोई बात नहीं है। यह एक ऐसी रैटिफिकेशन है जिसको यूनानिमसली पास करना चाहिए। इससे हमारे देश का वकार बढ़ेगा। देश की मान–मर्यादा को ठेस

पहुंचाने वाली तथा छोटे–बड़े में अन्तर डालने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैं तो समझता हूं कि आज देश के अन्तर बड़ा गौरव का दिन है। जो होशियार आदमी गरीबों का खून पीने वाले थे, जो हमेशा बाहर रहते थे आज वे अन्दर है। अगर कांस्टीच्युशन को चैलेंज करने की बात होती तो वे आज भी बाहर होते। मैं कहता हूं कि जमहूरियत को कायम रखने के लिए, देश में समाजवाद लाने के लिए और उन लोगों को ठीक करने के लिए जो देश का धन चूसते थे, यह अमैंडमैंट आवश्यक है। समाजवाद रूपी वह चीज जिसका हम दम भरते हैं, उसको लाने का यही एक मात्र रास्ता है वरना सब मजाक है। अगर एक कानून बनाया जाए कि फलां व्यक्ति को सजा देनी है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है और नजात मिल जाती है। आज पीलू मोदी रोहतक में एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह सकता, एयर कंडीशन के बगैर उनका पेशाब नहीं निकलता था .... (हंसी) आप देखें 50 करोड़ आदमी धूप में, गर्मी और सर्दी में रात–दिन एक करके काम करते हैं लेकिन वे ऐसे आदमी हैं जो एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह सकते .... (व्यवधान) मैं अधिक समय न लेता हुआ आपका ध्यान इस और दिलाना चाहात हूं कि जो रैटिफिकेशन हाउस के सामने आई है उसको यूनानिमसली पास करना चाहिए।

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांस्टीच्युशनल अमैंडमैंट जो रैटिफिकेशन के लिए आई हैं, मैं इसका समर्थन करती हूं क्योंकि

मैं समझती हूं कि जब हमारा संविधान बनाया गया था उस वक्त जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज दिए गए ि उनका उदेश्य यह था कि इस कांस्टीच्युशन के द्वारा वे काम किए जाए जो जनता और देश के हित में हों। लेकिन आज इस तरह के हालात हो गए हैं, देश की कुछ बैकग्राउंड ऐसी ीि कि जिसके कारण हम यह नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति जो जिस पद पर था या हर व्यक्ति जो जहां बैठा है वह ज्यादा फेयर था। जो फेयर नहीं था उसको रूट आउट करने के लिए और जो फेयर है उसको ऊपर लाने के लिए कांस्टीच्युशन में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता थी। आप जानते हैं, बल्कि सभी जानते हैं कि जो कांस्टीच्युशन की अमैंडमैंट आई है यह इसलिए आई है कि राश्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्राईम मिनिस्टर और लोकसभा के अध्यक्ष के जो पद हैं इनकी गरिमा को ज्यों का त्यों रखा जा सके। आप जानते हैं कि उनके द्वासरा कुछ लोगों का चयन होता है। पार्लियामैंट जो है वह हमारा एक बहुत बड़ा हाउस है, सारे देश का एक बहुत बड़ा हाउस है। इन सब लोगों की इन सद पदों की जो गरिमा है वह भी महान है। इन पदों पर जो आसीन होते हैं वे उस हाउस की तथा देश की मैजोरिटी की राय के साथ आसीन होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्लियामैंट के इन चुने हुए लोगौं के द्वारा एप्वांयट किए जाते हैं। तो पार्लियामैंट की सारी इच्छाएं, इतने बड़े हाउस की सारी इच्छाएं ऐसे आदमियों के हाथों में कैसे सौंपी जा सकती हैं जो पार्लियामैंट के चुने हुए आदमियों के द्वारा किसी पद पर आसीन किए गए हैं। इसका मतलब यह हो गया कि सारे देश

की इच्छाएं एक तरफ, सारी पार्लियामैंट की 2/3 मैजोरिटी या यों कहें कि सारे देश की 2/3 मैजोरिटी की इच्छाएं एक तरफ और उनके द्वारा एप्वांइट किए गए एक आदमी की इच्छा एक तरफ। इसलिए यह आवश्यक था कि इस प्रकार का कांस्टिच्युशन में अमैंडमैंट किया जाता और जो इन सारे महान पदों की गरिमा थी उसको बनाये रखा जाता और जो सारी गरीब और पिछड़ी जनता तथा दूसरे लोगों की इच्छा थी उसका पूरी तरह पालन किया जाता ताकि जो कांस्टिच्युशन के अन्दर डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं उनकी पूरी तरह रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ कांस्टीच्युशन की जो अमैंडमैंट की रैटिफिकेशन है, इसका मैं अनुमोदन करती हूं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, कंफ्यूजन यह हो गया कि केवल आर्टिकल 71 अमैंडमैंट के मातहत पहले मोशन मूव हुआ है और 40वीं अमैंडमैंट अभी हुई है लेकिन आपका एजेन्डा देखने के क्लीयर हो गया कि इसमें हमारी गलती थी, आपके सैक्रिटेरिएट की कोई गलती नहीं थी।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): मैंने एक ही मूव किया है।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: लेकिन उसके साथ दो और अमैंडमैंटस हैं। उन पर भी बोलने की इजाजत दी जाए।

Mr. Speaker: Order please, no.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी (यमुनानगर): स्पीकर साहब, एक बहुत अहम मामला सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। कांस्टिच्युशनल अमैंडमैंट जो दोनों हाउसिंज ने पास किया उसकी रैटिफिकेशन इस हाउस के सामने हैं इस अमैंडमैंट के फलस्वरूप, स्पीकर साहब, अब हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष, लोकसभा के चुनाव सम्बन्धी मामले को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकेगा। यह बात बहुत अच्छी हुई है। स्पीकर साहब, आदादी मिलने के बाद हमारे देश का विधान बना और उस विधान में फंडामैंटल राईटस और डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज का प्रावधान रखा गया। आपने देखा कि कुछ अर्से के अन्दर आजादी काफी रही, आजादी का नगन नृत्य रहा, आजादी सड़क पर देखी गई। जो चाहता था जिसको मर्जी गाली दे देता था। यहां तक कि राष्ट्रपति, उप–राश्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को न छोड़ा गया। स्पीकर साहब, कांस्टिच्युशन में यह लिखा हुआ है कि राश्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा हो और मैजोरिटी से हो लेकिन कोई भी एक आदमी अगर पैटीशन कर दे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो राश्ट्रपति को वहां पर कटहरे में खड़ा किया जा सकता था कि वे अपनी चुनाव पैटीशन का जवाब दे। इस बारे में कानून की यह शक्ल, विधान की यह शक्ल जो हमारे सामने आई, कुछ समझ में नहीं आती थी कि जजों को बनाने वाले को भी उसी कटहरे में खड़ा कर दिया जाए जहां मुलजिम खड़े किए जाते हैं। आप ही सोचें कि वे किस बात के मुलजिम हैं? कहने का मतलब यह है कि इस अमैंडमैंट ने

हमारे देश की जो एक कुरूप शक्ल थी, जो एक गलत इमेज था उसको देश और विदेश में ऊंचा किया है। स्पीकर साहब, इंग्लैंड जैसे देश में तो इन हस्तियों को गाली नहीं दे सकते। उनके यहां तो गाली तक देने की मनाही है लेकिन हमारे यहां गाली देने की मनाही नहीं हो रही है, हमने तो चुनाव के सिलसिले में एक रक्षात्मक ढंग अपनाया है जिससे आम जनता के अन्दर उनकी शक्ल नीचे न गिरे। चुनाव के दौरान इतने बड़े पुरूशों की जो शक्लें है वे जमीन में रौंदी जाती थीं। हम नहीं चाहते कि इतने बड़े पुरूशों की शक्लें जमीन में रौंदी जाएं जिससे विदेशों में हमारा इमेज कमजोर बने और हमारे देश का इमेज नुकसान उठाए। इन बातों को मदेनजर रखते हुए स्पीकर साहब, जिस बिल को लोकसभा और राज्यसभा के पास कर दिया हो और स्टेटस की लैजिसलेचर्ज ने जिसे केवल रैटिफाई ही करना है, क्या ही अच्छा होता यदि उसे हम एक मत से मानते। मुझे तो हंसी आती है कि एक सदस्य महोदया ने ऐसी बातें कैसे कर दीं ऐसा विराध कैसे कर दिया जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल विरोध करने के लिए ही उन्होंने विरोध किया है वरना जो अमैंडमैट हुई है उसके बारे मैं उन्हें शायद ही पता हो। अगर इसके बारे में उन्हें पता होता तो आज ये बातें उनके दिल से नहीं निकलतीं। खैर, अगर कोई बावला हो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए सदन से पुरजोर अपील करता हूं कि इस रैटिफिकेशन को मुश्तरका तौर पर पास किया जाए।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, मैं भी इस प्रस्ताव की ताईदोमजीद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, असल में बात यह है कि आज देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज तो प्रस्ताव यहां हमारे सामने है यह पार्लियामैंट में पास हो चुका है। यह बड़ा अच्छा बिल है लेकिन मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूं। जो गिने चुने लोग अपने देश को गुलाम बनाने में तुले हुए थे वे शायद इस प्रस्ताव की मुखालिफत करें वरना स्पीकर साहब कोई इसके विरूद्ध नहीं है। हम जनता के सामने रोज गली गली में और मुहल्ले मुहल्ले में फिरते रहते हैं। जब पार्लियामैंट के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पेश हुआ तो जनता बहुत खुश हुई। जनता जनार्दन के हम प्रतिनिधि हैं। पार्लियामैंट में यह बिल पास हो चुका है लेकिन कानून के मुताबिक कुछ असैम्बिलयों ने भी इसकी मंजूरी देना होती है। तो मैं चाहता हूं कि जब हम बिल की मंजूरी देने लगे हैं तो यह हमें खुशी के साथ देनी चाहिए। हमारी एक बहिन ने इसकी मुखालिफत की और वह भी सिर्फ अखबार में एक लाईन लिखवाने के लिए की वरना इसमें मुखालिफत की कोई वजह नहीं है। स्पीकर साहब आज वक्त की पुकार है कि इस तरह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव हमारे सामने आएं ताकि देश की गरीब जनता, मिडल क्लास जनता तेजी से आगे बढ़े। स्पीकर साहब, 60 करोड़ जनता को काबू में रखना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री और राश्ट्रपति को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि आज कई कठिनाईयों के बावजूद वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं

हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब का भी मश्कूर हूं क्योंकि ये भी इतने बड़े हरियाणा का, जिसकी एक करोड़ के करीब आबादी है, काफी कठिनाईयों के सामने होते हुए, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम प्रधानमंत्री और पार्लियामैंट की भावनाओं के अनुसार चल रहे हैं। तो स्पीकर साहब, इन अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव की ताईदोमजीद करता हूं।

चौ. भजन लाल (आदमपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तो इस विचार का हूं कि संविधान में जो संशोधन अब आया है यह बहुत पहले आना चाहिए था। जैसा कि दौलता साहब ने अभी हाउस में बताया कि ऐसी हस्तियां जो सुप्रीम कोर्ट के जजिज को अप्वांइट करती हों वही आदमी अगर उन्हीं के सामने राष्ट्रपति की हैसियत से या प्रधानमंत्री की हैसियत से अदालत में पेश होकर अपनी स्टेटमैंट दे तो वह हमारे देश के लिए एक बड़ी भारी तोहीन की बात थी। यह संशोधन किसी एक व्यक्ति विशेश के लिए नहीं हैं यह तो सभी के लिए लागू होगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी जाति को हो, यह सबके लिए एक सा होगा। सब पार्टियों के लिए एक सी बात होगी। तो, स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

लाला रूलिया राम (घरौंडा): स्पीकर साहब, यह जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अर्ज यह है कि देश के अन्दर कुछ ऐसे हालात बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे जिनका इलाज करना जरूरी थी। भाई अमर सिंह जी ने अभी अभी हाउस को बताया कि पहले कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को भी कोर्ट में जाना पड़ता था। दूसरे मुल्कों में इस बात की बडी चर्चा चली। यह जो अमैंडमैंट हुई है इसको पार्लियामैंट के दोनों हाउसिंज ने पास किया है। मैं यह नहीं समझता कि इसके पास करने में कोई सदस्य क्यों नाराज है? अखबारों पर पाबन्दी लगी है इस वजह से नाराज हैं या अपनी कोई जिद निकालना चाहते हैं। माननीय सदस्या को इस सदन में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तो हिन्दुस्तान की शान बढ़ी है। इस अमैंडमैंट का मैं फिर जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर (नरवाना): आदणीय स्पीकर साहब, यह जो हाउस के सामने अमैंडमैट रैटिफिकेशन के लिए आयी है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी थी। राश्ट्रपति जो हमारे देश का प्रधान है, बादशाह है, उसके लिए यह जरूरी था कि वह किसी भी अदालत में न जाये। वैसे तो यह बहुत पहले आनी चाहिए थी लेकिन अब अगर आयी है तो मैं इसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। किसी सदस्या ने इसकी जो मुखालिफत की है वह किसी जाति बिना पर

की है वरना इसमें मुखालिफत करने की कोई बात नहीं थी। इन शब्दों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

चौ. फूल चन्द (मुलाना–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने संविधान का 40वां संशोधन बिल है। हमारी पार्लियामैंट ने निर्विरोध इस बिल को पास किया है। औपचारिक ढंग से क्योंकि विधानसभाओं में जाना आवश्यक होता है इसलिए हमारे सामने यह संशोधन रैटिफिकेशन के लिए आया है।

भारत को आजाद हुए लगभग 27–28 साल हो गये हैं। भारत का संविधान बड़ा अच्छा बना था। यह आप सबको मालूम है कि हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे दिमागों ने सारी चीजों के विशय में छान–बीन करके हमें यह संविधान दिया और इस संविधान की सब जगहों पर सराहना हुई लेकिन विधान के अन्दर जितनी हमें आजादी दी गई थी उसका उपयोग, उसका प्रयोग हमने ठीक ढंग से नहीं किया। आज हमारे सामने संविधान में जो संशोधन आ रहा है वह समयानुकूल है क्योंकि हमारे नेता जानते हैं और समझते हैं कि संविधान लोगों के लिए होता है, लोग सविधान के लिए नहीं होते। हालात के मुताबिक हमें बदलना पड़ता है। मौजूदा जो अमैंडमैंट हमारे सामने है यह तो बहुत ही आवश्यक थी, कानूनी ढंग से भी और वैसे भी। जो अप्वायंटिंग अथौरिटी है, जो जज अप्वांयट करता है वह उसी के सामने अदालत में पेश हो, वैसे भी अगर साधारण ढंग से सोचा जाये तो

भी कुछ भद्छा सा लगाता है। इसमें जो अमैंडमैंट आयी है यह केवल प्रेजिडैंट के लिए नहीं है और भी जो दूसरे ओहदे हैं जैसे प्रधानमंत्री है, स्पीकर है, वाइस प्रेजिडैन्ट है उनके लिए भी है। स्पीकर साहब, जिन लोगों को हमने ऊंचा माना है, जिन लोगों को हमने अपना नेता माना है, जिन लोगों को हमने अपना बड़ा माना है उनका निरादर नहीं करना चाहिए। भारत की संस्कृति में भी यह बात है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का मान करना चाहिए। ऐसा करना हमारी संस्कृति के विरूद्ध भी नहीं है और न ही कानून के विरूद्ध हैं जैसा कि अभी गुप्ता जी ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि इस अमैंडमैंट से किसी के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसी एक व्यक्ति विशेश को छूट देने से कि वह अदालत में न जाये, किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होती है। उनको जा छूट दी जा रही है वह एक विशेश प्रकार की है कि उनके इलैक्शन पैटीशन की कोर्ट जांच न करे। हमारी एक माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं उनको इस बारे में जो गलतफहमी है वह बिल्कुल निराधार है। समाज के जिन पिछड़े वर्गो का उन्होंने जिक्र किया, चर्चा किया, उनके बारे मैं मैं भली भांति जानता हूं उनकी धारणा निराधार है। इस संशोधन से पिछड़े वर्ग को कोइ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फर्ज बनता हे कि हमारे जो लीडर हैं, नेता हैं जिनको हमारे ही देश ने नहीं माना है बल्कि दूसरे देश के लोगों ने भी उनको नेता मान लिया है, उनको ऐसी छूट दे देनी चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो साधारण सी बात है, साधारण सी अमैंडमैंट

है। इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे सभी साथी सदस्यों को इसका अनुमोदन करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से देश का मान है, जनता का मान है, हमारे लीडर्ज का मान है। वे लीडर्ज किसके है? वे हमारे लीडर हैं। अगर हम ही उनका मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़ी साधारण सी बात है।

स्पीकर साहब मैं थोड़ा चर्चा ऐमरजैन्सी के बारे में करना चाहता हूं। यह ऐमरजैन्सी क्यों लगीत्र डिस्पिलिन की कमी के कारण से लगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे विदेश में जाने का मौका मिला है। जितीन पोलिटिकल फ्रीडम मैंने यहां देखी है उतनी कहीं भी नहीं देखी। जितनी राजनैतिक आजादी हमारे यहां है उतनी कहीं भी नहीं। मगर हमारे देश में उस आजादी का दुरूपयोग ही हुआ। मैं समझता हूं कि हालात के मुताबिक जो कुछ हो रहा है उसे हमें कबूल करना चाहिए क्योंकि यह सब कुछ देश के भले के लिए हो रहा है मौजूदा अमैंडमैंट का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और अन्य सदस्यों के विनम्र निवेदन करता हूं कि इसका सभी को अनुमोदन करना चाहिए।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है –

Mr. Speaker: No, not for a second time please. I will not allow you to speak for a second time on the same resolution.

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं तो सबमिशन करना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Order please. No submission. There is no word as "submission." in our Rules.

Smt. Lekhwati Jain (Ambala City): Mr. Speaker, Sir, I support the resolution for the ratification of the amendment of the Constitutioin which is proposed by the Hon'ble Chief Minister. Sir, the amendment has bene passed by the two Houses of the Parliament and it was supported by the whole of the two Houses of Parliament separately. But I am sorry that in this House one Hon. Lady Member, who was a Minister, alone opposed this resolution.

Sir, I fully support this resolution here which is proposed by the Hon. Chief Minister and I also agree with the views which were expressed here by all the Hon. Members of this House except one Lady Member, who opposed this resolution.

Sir, I again suport whole-heartedly this resolution.

Thank you.

Ch. Partap Singh Daulata: I have to make on submission.

Mr. Speaker: No submission please .....

Ch. Partap Singh Daulata: On a point of procedure, Sir, The Secretariat circulated two amendments, 40th and 39th .....

Mr. Speaker: Order please .....

(Interruptions)

Mr. Speaker: The resolution is before you and you can speak on the resolution and nothing else.. (Interruptions)

Ch. Bansi Lal: Speaker Sahib, I may inform the Hon. Member that the amendment Bill is 40th and the Act is 39th ..... (Interruptions). This is what we have circulated.

Ch. Partap Singh Daulata: the reare two amendments, amendment of Article. .....

Mr. Speaker: Order please. The resolution is quite correct. You have availed of the opportunity to speak once. I cannot allow you to speak twice.

चौ. मेहर चन्द (बडोपल): स्पीकर साहब मैं इस अमैंडमैंड की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि जो मैम्बर इस अमैंडमैंट को अपोज करते हैं उनको इस अमैंडमैंट के बारे में पता ही नहीं है। इससे बेहतर अमैंडमैंट कोई हो नहीं सकती। उनको शायद एक बात याद नहीं रही कि यह अमैंडमेंट क्यों आई? वह बात मैं एक शेर में अर्ज कर देना चाहता हूं:—

गुल शमां ए अन्जमन थी, गौ अंजमन वही थी।

हुबे वतन नहीं था, खाके वतन वही था।

असल चीज यह है, जो मैं महसूस करता हूं कि आनरेबल मैम्बर ने सोचा है कि मैंने तो इन लफजों को कहना ही है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यह अमैंडमैंट अगर न आती तो

देश की हालत ही खराब हो जाती जो काफी देर से होने लग रही थी। शुक्र है, अब कुछ रोशनी अपने लगी हैं वह जो वतन की अंजमन थी, जो गुल होने लगी थी, उसमें कुछ रोशनी आने लगी है। मेरा कहना यह है कि ऐसी–ऐसी अमैंडमैंटस तो जरूर आनी चाहिएं जहां इतनी खामियां रह गयी हों और उन्हें दूर करने की जरूरत हो। मेरे ख्याल में वे भाई देहात में नहीं जाते होंगे। उन्हें पता नहीं कि लोग क्या कहते हैं। लोगों की फीलिंग क्या है। देहात के अन्दर एक अनपढ़ आदमी–मैं उन्हें अनपढ़ तो नहीं कह सकता क्योंकि वह मेरे बनाने वाले हैं, मैं उनको पढ़ाने वाला नहीं हूं–मैं ऐसे कह देता हूं कि वे पढ़े–लिखे नहीं हैं, उनकी भी यह फीलिंग है और मैंने कभी अपनी उम्र में उनकी इतनी फीलिंग नहीं देखी, वह कहते हैं कि असली राम–राज्य तो इन्दिरा गांधी अब लाने लगी है। अगर यह कदम पहे से ही उठा लिये जाते तो मुल्क की यह हालत न होती और ये लोग जो सिर उठा रहे थे एक लफज भी अपनी जबान से न निकालते। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी आदमी सरकार के खिलाफ बोले, लोगों को भड़काये, उसको सीधा कोठरी में भेज देना चाहिए और उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ इस अमैंडमैंट की पुरजोर ताईद करता हूं।

चौ. ईश्वर सिंह (पुंडरी): स्पीकर साहब, यह जो कांस्टीच्यूशन की 39वीं अमैंडमैंट आई है, मैं इसके हक में बोल रहा हूं। हैउ आफ दी स्टेट हमेशा अदालतों को अटैन्ड वगैरह

करने से बरी होता है। इंग्लैंड से कांस्टीच्यूशन में भी किंग के बारे में कहा गया है कि King can do no wrong and king is above law जब एक बार इंग्लैंड के बादशाह अदालत के सामने पेश किये गये तो उन्होंने कहा था कि मैं हर अदालत से बरतरफ हूं, सब अदालतें मेरे अन्डर हैं और कोई अदालत मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चला सकती। इसी तरह से हमारे प्रैजीडैन्ट की पोजीशन है। जहां तक डिसिक्रमीनेशन का सवाल है, हमने किसी के साथ डिस्क्रिमीनेशन नहीं की है। अगर किसी ओहदे क लिये बहुत रिस्पैक्ट दें और हम यह समझें कि वह सबसे बड़ा है तो उसको कोई खास हक दिये जा सकते हैं। मुल्कों के अन्दर ऐसी–ऐसी भी मिसालें हैं कि प्रैजीडैन्ट्स फार लाईफ रखे गये हैं। इसलिये इस अमैंडमैंट में कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ठीक है क्योंकि चाहे वह राष्ट्रपति है, वाइस–प्रैजीडैन्ट है, प्राइम–मिनिस्टर है या स्पीकर है, हम जानते हैं कि वाइस–प्रैजीडैन्ट और स्पीकर, लोक सभा और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग आफिसर्ज हैं, देश के बड़े नेता हैं। प्राइम–मिनिस्टर भी एक खास अहमियत रखती हैं क्योंकि वह सारे राश्ट्र की नेता हैं, मालिक हैं। उन्हें बहुत अहमियत के डिसीजन्ज लेने पड़ते हैं। अगर उन्हें इस ढंग से कोर्टो में जाना पड़े तो उनके दिमांग पर कितना असर पड़ेगा? उनके डिसीजन्ज पर कितना असर पड़ेगा यह सारा राज जनता का राज है। जब जनता की बिल सारी इकट्ठी होकर, सारी एक जगह सैट्रेलाइज होकर जिस तरह राश्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर और दूसरे ओहदे जो इस अमैंडमैंट में दिये गये हैं–इन ओहदों पर वे

पहुंचते हैं तो उन्हें इस ढंग से कोर्टो से बरी करना बहुत जरूरी था। इलैक्शन पैटीशन का हमारे देश में तो एक आम रिवाज सा चल रहा है। इंग्लैंड में पीपल्ज रिप्रेजैटेशन ऐक्ट और दूसरे इलैक्शन ला वगैरा भी हैं लेकिन फिर भी वहां पर 1965 में सिर्फ एक इलैक्शन पैटीशन हुई थी जब वहां पर 634 इलैक्टिड मैम्बर्ज हैं। इतने मैम्बर होने के बावजूद भी वहां पर 1965 के बाद कोई भी इलैक्शन पैटीशन नहीं हुई हालांकि पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी उनके यहां भी है। वहां से पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी का ढांचा नकल होकर यहां आया है। उन ओहदों की रिस्पैक्ट एक अलग बात है लेकिन अगर किसी बड़े ओहदे के लिये हम किसी कोर्ट में पेश होने से बरी करते हैं तो यह एक जायज चीज है और अच्छी बात है। अन्त में मैं फिर इस अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, यह जो कांस्टीच्यूशन की 39वं अमैंडमैंट हमारे सामने आयी हैं, मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं। हमारे जो ये चार महान व्यक्ति हैं, प्रैजीडैन्ट, वाइस–प्रैजीडैन्ट, प्राइम–मिनिस्अर और स्पीकर, इनको इलैक्शन पैटीशन होने पर कोर्ट में जाना पड़ता है। आप जानते हैं वे अप्वायटिंग अथौरिटी भी हैं। जब वे किसी ऐसे आदमी के सामने अदालत में जायें जो उनके द्वारा अप्वांयट किया गया हो तो बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है। इसलिये यह एक बड़ी

अच्छी अमैंडमैंट आयी है। .... (व्यवधान) .... हमारे चीफ मिनिस्टर भी इसमें इन्कलूड होने चाहिएं थे। (व्यवधान) ....

Ch. Partap Singh Daulata: Why not Speaker?

श्री जगजीत सिंह टिक्का: वह भी! मैं तो इससे भी आगे जाकर कहूंगा। जैसे कि वे लीडर हमारे देश के लिये महान हैं वैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर और स्पीकर, सूबों में महान होते हैं। अगर उनका भी नाम होता तो बहुत ही अच्छा होता। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर और स्पीकर भी इसमें शामिल होने चाहिए थे। अब नहीं हुए तो आइन्दा हो जायें तो ठीक बात होगी वरना तो वे पैटीशन के चक्कर में ही घूमते रहते हैं जिसकी वजह से उनके काम में बहुत रूकावट पड़ती है।

मैं एक बार फिर इस अमैंडमैंट की पुरजोर ताईद करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि मेरे सज्जैशन को ख्याल में रखा जायेगा ओर आइन्दा कभी न कभी ऐसी अमैंडमैंट लायी जायेगी।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): आदरणीय स्पीकर साहब, आज कांस्टीच्यूशन की 39वीं अमैंडमैंट हाउस के सामने है। मेरे से पहले दौलता साहब, गुप्ता जी और हमारे कितने ही भाई इस पर बोल चुके हैं। .....(व्यवधान) .... शायद दौलता साहब फरमा रहे हैं कि 40वीं हैं यह जो 40वीं अमैंडमैंट राश्ट्रपति, उपराश्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के बारे में आयी है, यह एक बहुत अच्छी तरमीम है। जो आज अमैंडमैंट आयी है, इसकी जरूरत

तो आज से बहुत पहले से थी। जैसे कि दौलता साहब ने फरमाया है, हमारे राश्ट्रपति–गिरि साहब, जब अदालत में पेश हुए तो उस वक्त जुडीशरी ने इसे महसूस किया, वहां के जजिज ने महसूस किया। इनका तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जो देहातों में बैठी हुई गरीब जनता है, वह जरूर महसूस करती थी कि हमारा बादशाह, हमारा राजा, वे प्रैजीडैन्ट तो नहीं जानते, वे तो बादशाह ही कहते हैं, आम आदमी की तरह कोर्ट में जाये ओर सिर झुकाये यह अच्छा नहीं लगता। तो यह एक नामुनासिब बात समझी गयी। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी बात हुई है और इसका होना निहायत ही जरूरी था। आप देखियें, इस देश के अन्दर ऐमरजैन्सी से पहले जो हालत थी, वह हमारे से कोई भूली हुई नहीं है। अगर आप इस बारे में देहाती भाइयों के जजबात सुनें तो पता लगेगा कि वे यह कहते हे। कि जो ऐमरजैंसी आज आयी है, यह आज से 5–7 साल पहले आनी चाहिए थी। जिस वक्त हमारा आईन बना था, उस वक्त के नेताओं को, बुजुर्गो को, कुर्बानी करने वाले सेनानियों को यह पता नहीं था कि इस किस्म के हालात यहां पैदा होंगे। उन्होंने अपने विचारों से एक आइन बनाया था, वह उस वक्त के लिये मुनासिब होगा लेकिन आज के लिये नहीं है। आपने अच्छी तरह से देख लिया है कि हमारे यहां कितनी डैमोक्रेसी है। मेरे ख्याल में हमारे जो साथी बाहर घूमकर आये हैं जैसे ईश्वर सिंह जी, चौ. फूल चन्द (मुलाना) और दूसरे काफी लोग, उन्हें इस बात का पता है। (विघ्न) हमारा तो ग्रुप जाने लगा था, उसमें गौड़

साहब भी थे लेकिन वह नहीं जा सका। हमारे तो कपड़े सिले–सिलाये रह गये। मैं यह कह सकता हूं कि आज लोगों के जजबात बड़े खुशी के हैं, वे निहायत खुश है। आज लोगों के पास गांव–गांव में साधन पहुंच चुके हैं। हर गरीब आदमी रेडियो खोलकर बैठा रहता है जो हल चलाता है, वह उसे कोख में लगाये रहता है और जो मजदूरी करता है, वह कन्धे पर लटकाये रखता है। आज देश के हरेक गरीब से गरीब व्यक्ति का ध्यान पार्लियामैंट की तरफ होता है ताकि उसे यह पता चल सके कि वहां से क्या आवाज निकलती है ओर उसके लिये क्या सहूलियतें मिलती है। तो मेरा कहना यह है कि गरीब आदमी इस वक्त निहायत खुश हैं। हां, अगर दु:खी हैं तो हमारे वे भाई दु:सी हैं जिन्हें ब्लैक की, नम्बर दो का पैसा छुपाने की या किसी दूसरी चीज की फिक्र है। अगर कोई दु:खी है तो सिर्फ ये लोग हैं ओर इन लोगों के दुखी होने से गरीब लोगों को राहत मिली है। मैं कपड़े की बात आपको बताऊं पहले वही कपड़ा किसी को ढूंढे से नहीं मिलता था –

Mr. Speaker: Order please. Not relevant to this Resolution.

श्री औम प्रकाश गर्ग: मैं उस तरफ चला गया। बात तो उसी से ताल्लुक रखती है। स्पीकर साहब, लोकसभा ने कांस्टीच्यूशन में जो यह अमैंडमैंट की है इसका मैं स्वागत करता हूं। यह एक निहायत जरूरी और निहायत ही अच्छी बात है ओर

भारतवर्श की तमाम जनता इसका स्वागत करती है। इन शब्दों के साथ मैं इस रैटिफिकेशन का समर्थन करता हूं और साथ ही यह प्रार्थना करता हूं कि जैसा कि टिक्का साहब ने कहा कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर और असैम्बली के स्पीकर से भी यह पाबन्दी उठनी चाहिए, मेरा भी यही विचार है कि कम से कम मुख्यमंत्री और स्पीकर पर से यह पाबन्दी उठनी चाहिए। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब, हाउस के सामने कांस्टीच्यूशन की 39 वीं अमैंडमैंट रैटिफिकेशन के लिए आयी है। सदन के मुख्तलिफ मैम्बरों ने इसका समर्थन किया है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

स्पीकर साहब, भारतवर्श का कांस्टीच्यूशन जिस वक्त बना उस वक्त के हालात कुछ अजीब किस्म के थे। यह जो फैडरल टाइप कांस्टीच्यूशन हमें मिला यह उस वक्त के हालात के साथ एक कम्प्रोमाइज था। भारतवर्श को एक हजार साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। हमारे कांस्टीच्यूशन बनाने वाले उस वक्त जल्दी मे ंथे कि किसी तरह से अंग्रेज यहां से जाएं और जल्दी से जल्दी हम भारतवर्श को एक कांस्टीच्यूशन दें। वर्किंग एक्सपीरियंस कांस्टीच्यूशन का उस वक्त नहीं था। जैसा कि मेरे दोस्त दौलता साहब ने कहा कि क्या हालात पैदा हो सकते हैं, वर्किंग में क्या दिक्कत आ सकती है उसकी तरफ कांस्टीच्यूशन मेकर्ज का उस वक्त ध्यान नहीं था। देश में कुछ ऐसे हालात होते

जा रहे थे कि बिलाह वजह छोटी–छोटी बातो ंपर इलैक्शन पैटीशन होने लगीं जिस वक्त कांस्टीच्यूशन बना उस वक्त किसी को ख्याल नहीं था कि भारतवर्श के प्रैजीडैंट के खिलाफ भी इलैक्शन पैटीशन होगी और उसके इलैक्शन को भी चैलेन्ज किया जा सकता है इसलिए कांस्टीच्यूशन में यह प्रोवाइड कर दिया कि प्रैजीडैंट के इलैक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। आपने देखा कि प्रैजीडैंट के खिलाफ इलैक्शन पैटीशन हुई और हमारे प्रैजीडैंट जो एक बहुत बड़े डैमोक्रेट थी उनको कोर्ट में जाना पड़ा। उन्होंने उस वक्त यह फैसला किया कि वे खुद सुप्रीम कोर्ट में बतौर गवाही के पेश होंगे और वे पेश हुए लेकिन हमारे देशवासियों ने इसको बुरा महसूस किया और दरअसल उसी वक्त कांस्टभ्च्यूशन में अमैंडमैंट कर देनी चाहिए थी। जो कांस्टीच्यूशन बनाते वक्त कम्प्रोमाइज किया गया था उन कम्प्रोमाइजिज की आज जरूरत नहीं है। देश को आगे ले जाने क लिए हमें दूसरी किस्म का कांस्टीच्यूशन चाहिए। मैम्बर्ज पार्लियामैंट ने कांस्टीच्यूशन में जो अमैंडमैंट की है यह अमैंडमैंट बहुत जरूरी है और वक्त के तकाजे के मुताबिक है। स्पीकर साहब, मैं इसका समर्थन करता हूं।

चौ. रामली लाल डागर (हथीन): स्पीकर साहब, हाउस के सामने जो संशोधन रैटिफिकेशन के लिए आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। वैसे तो हमारे संविधान के बनाने वालों ने संविधान में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आगे जाकर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि प्रैजीडैंट

और प्राइम मिनिस्टर के इलैक्शन भी चैलेंज होंगे। लोकसभी ने जो अमैंडमैंट बिल पास यिका है यह प्रैजीडैंट, प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रैजीडैंट तथा स्पीकर की इज्जत बनाए रखने के लिए किया। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और जैसा कि इंग्लैड में कहते हैं कि King can do no wrong यह बात हमारे भारतवर्श में प्राइम मिनिस्टर और प्रैजीडैंट के लिए भी होनी चाहिए।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा): स्पीकर साहब, जो कांस्टीच्यूशनल अमैंडमैंट पार्लियामैंट के दोनों हाउसिज में पास होने के बाद यहां रैटिफिकेशन के लिए आई है इसमें वैसे तो कोई लम्बे चौडे भाशण की जरूरत नहीं है। मैम्बर्ज पार्लियामैंट ने यूनानिमसली बिना डाइसैंटिंग वोट के इस अमैंडमैंट के पास किया है और यह इस बात को जाहिर करता है कि उन्होंने इस अमैन्डमैंट को बहुत आवश्यक समझा था और इसलिए कहीं पर किसी किस्म का डाइसैंट जाहिर नहीं किया। लेकिन जो आदमी कानूनदान हैं, कांस्टीच्यूशन की सैकटिटी को ज्यादा समझते हैं या जिनको कांस्टीच्यूशन की इन्टरप्रिटेशन वक्तन फवक्तन करनी पड़ती है, वुकला साहिबान हैं, कुछ इंटैलिजैन्सिया है, शायद इस ख्याल के हों कि इस तरह से अमैंडमैंट नहीं करनी चाहिए। हमारी एक माननीय सदस्या ने अपने ख्यालात और जजबात को जाहिर किया, उनको ऐसा करने का अधिकार है लेकिन यह हकीकत है कि प्रैजीडैन्ट, वाइस प्रैजीडैंट या प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के सबसे बड़े पदों पर विराजमान हैं उनको कचहरियों में जाकर डैक

में खड़ा होना पड़ा, शहादत देनी पड़ी, अजीब किस्म की क्रौस एग्जामिनेशनको फेस करना पड़ा, और फिर यह कहा जाए कि देश के अमीर गरीब, जाट, बनिया, ब्राह्मण सब बराबर हैं, मनु के हवाले दिए जाएं, ठीक नहीं लगता। सवाल यह है कि क्या इससे डिगनिटी रहती है जबकि वे एक तरफ अप्वाटिंग अथौरिटी हैं? जहां तक जुडिशियरी का ताल्लुक है हमारे देश के अन्दर सबके दिल में उसके लिए अहतराम है। यह अमैंडमैंट लाने से यह मतलब नहीं कि जुडिशयरी का हम मान नहीं करते। इस अमैंडमैंट का मतलब यह है कि जो हाइऐस्ट अथौरिटी आफ दी स्टेट है – स्टेट में है, जो नेशन के हैड हैं, देश के हर आदमी के दिल में उनका अहतराम है और मैम्बर पार्लियामैंट ने और मैम्बर असैम्बलीज ने उनको इलैक्ट किया है। वे हमारे देश के नुमाइदे हैं। अगर उनको छोटी–छोटी बातों के लिए कचहरियों में खड़ा होना पड़े और उनके बारे में किस्से कहानियां बनती चली जाएं तो मैं समझता हूं कि जो अमैंडमैंट कांस्टीच्यूशन में की गई है यह एक बड़ा दानिशमन्दाना कदम है, बड़ी दूरअन्देशी से काम लिया गया है और मैं समझता हूं इससे हमारे प्रैजीडैंट, वाइस प्रैजीडैंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर की डिगनिटी में इफाजा होता है और जैसा कि पार्लियामैंट के सभी मैम्बरान ने इसको इत्तफाक राय से पास किया है हमें भी एक राय से इसको मोहरे तसहदी कर देना चाहिए और जो रैजोल्यूशन हमारे लीडर आफ दी हाउस ने पेश किया है मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, जो तीन अमैंडमैंटस हैं उन पर मैं बोलना चाहता हूं। उस वक्त मैं बोल नहीं पाया था। इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए।

Mr. Speaker: No, I do not want to set up a wrong precedent.

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, फिर रिकार्ड पर यह क्लीयर आ जाए कि हम तीनों ही अमैंडमैंटस की स्पोर्ट करते हैं।

Mr. Speaker: Order please. No.

Ch. Partap Singh Daulata: We support all the three amendments.

Mr. Speaker: Question is –

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (thirty-ninth Amendment) Act, 1975."

The motion was carried.

मिनिस्टर्ज एण्ड मैम्बर्ज (मैडिकल फैसिलिटीज बिल,) 1975

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Fabilities) Bill, 1975.

I also beg to move –

That the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be taken into consideration at once.

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर महोदय, मैं इस बिल का तह दिल से वेलकम करता हूं। वैलकम ही नहीं करता, मैं मुबारिकबाद देता हूं इस हाउस के लीडर को कि इस हाउस ने हरियाणा में तमाम हिन्दुस्तान की गाइडैन्स के लिये जो प्रिंसीपल्ज ले–हाऊन करने हैं, उनमें से एक यह भी है। यह रिटायरमैंट के बाद नुमाइन्दों को जो मैडीकल फैसिलिटीज हासिल हुई हैं यह निहायत ही जरूरी थीं। मैम्बर होते हुए तो उनको इतनी जरूरत नहीं होती, वैसे तो कोई इनसे मांगता नहीं लेकिन जब वे कतई बूढ़े हो जाते हैं और उनको बच्चे भी नहीं संभालते उस वक्त यह मैडीकल ऐड बहुत युजफुल होगी। जब फिर दवाई बाहर से मंगानी

पड़ती है तो उस वक्त बच्चे पैसे नहीं देते हैं। यह जो रिसपैक्ट इन चुने हुए लोगों को दी गई है और ऐसे वक्त पर दी गई है जबकि वे लोग चुने हुए लोगों की रिस्पैक्ट छीनने के लिये तुले हुये थे और वे लोग जो कहा करते थे कि चपेट मारो मुंह पर, ऐसा करो, वैसा करो वे लोग तो आज जेलों में हैं और हमें, चुने हुए आदमियों को, मैडीकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैं वैलकम करता हूं।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

दी हरियाणा स्टेट लैजिसलेचर आफिसर्ज,

मिनिस्टर्ज एण्ड मैम्बर्ज (मैडिकल फैसिलिटीज) बिल

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Titlew of the Bill.

The Motion was carried.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motions moved –

That the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be passed.

The motion was carried

दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाऊंसिज आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1975

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, 1975.

I also beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill is be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill is be taken into consideration at once.

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर महोदय, मैं इसका वैलकम करता हूं इन अलफाज के साथ कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। रोज तो अमैंडमैंट बिल आना नहीं। मेरी पहली अर्ज तो यह है जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे एक मैम्बर को रेल में ट्रेवलिंग के वक्त एक अटैनडैंट रखने की फैसिलिटीज हैं, वह फैसिलिटी बस में भी होनी चाहिये। कमपैनीयन अलाऊंस होना

चाहिये एक मैम्बर को क्योंकि बहुत सारे बीमार होते हैं कई बार। दूसरे टैलीफोन के बारे में आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में 50 की बजायें 100 रूपये कर दिया –

चौ. बंसी लाल: वह हम कर रहे हैं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर महोदय, जो मैंने कहना है, वह वे कर ही रहे हैं इसलिये मैं इसको वैलकम करता हूं।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill is be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill is be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Titlew of the Bill.

The Motion was carried.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दी रोहतक यूनिवर्सिटी बिल, 1975

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I beg to introduce the Rohtak University Bill, 1975

I also move –

That the Rohtak University Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Rohtak University Bill be taken into consideration at once.

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि रोहतक जो ऐजुकेशन के लिये डिस्ट्रिक्ट एज ए होल बनाया है, अगर इंडिविजुअल हो मुबारिकबाद दी जा सकती है तो सी.एम. को इसलिये कांगरेचुलेट किया जा सकता है कि उसकी इंडिविजुलिजम ने डिवैल्पमैंट में बड़ा रोल प्ले किया तो रोहतक को क्लैक्टीवली डिस्ट्रिक्ट को अगर पैरोकियालिजम नहीं तो मुझे ब्लेम किया जाएगा कि मैं लोकल पैट्रीयोटिजम में इंडल्ज कर रहा हूं। आज से कई वर्श पहले आपको याद होगा स्पीकर साहब, गवर्नमैंट के रिसोर्सिज बहुत लिमिटेड थे। रोहतक टाउन में जनता में जाट हाई स्कूल, वैश्य हाई स्कूल, और बाद में गौड़ हाई स्कूल, सैनी हाई स्कूल और इसके बाद कितने ही स्कूल्ज उस वक्त बने जबकि गवर्नमैंट मदद नहीं कर सकती थी। एजुकेशन के मुकाबिले में रोहतक डिस्ट्रिक का, रोहतक टाउन का हरियाणा में जो कन्ट्रिब्यूशन है उसके लिये यह यूनिवर्सिटी काफी देर पहले ही सैंक्शन होनी चाहिये थी। चलो, अब हो गई मुझे इसके लिये बड़ी खुशी है। मैं सिर्फ गवर्नमैंट की तवज्जो उसके चार्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। टैरीटोरियल एक्सरसाइज आफ दी पावर के

तहत यूनिवर्सिटी के आफिस से 16 किलोमीटर के दायरे में ही उसकी ज्यू रिसडिकशन है। उसका मतलब यह है कि बहादुरगढ़ का कालेज भी, झज्जर का कालेज भी, हमारे कलानौर का कालेज भी, हम तो उसमें आते ही हैं (विध्न) मैं यह समझता हूं कि अगर इसके मायने यह हैं कि 16 किलोमीटर के बाहर के कालेज बाहर ही रहेंगे तो यह इसमें कमी है। तो कम से कम महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक, गुडगांव डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इसमें आने चाहिये और रैजीडैंशियल यूनिवर्सिटी रोहतक होनी चाहिये। बहुत दिन पहले यह डियू था।

11.00 बजे –

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): पहले कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी ऐसी ही यूनिवर्सिटी थी।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं तो यही तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि 16 किलोमीटर वाली बात नहीं बनेगी।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): स्पीकर साहब, रोहतक यूनिवर्सिटी का जो यह बिल हाउस में पेश किया गया है इसके लिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे रोहतक की अहमियत बढ़ेगी और जो सहूलियात मिलनी चाहिये वे मिलेंगी। इसमें मेरी अर्ज यह है कि यह यूनिवर्सिटी ऐफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहियें ताकि इसके नजदीक जो इलाके पड़ते हैं

उनको भी इससे फायदा पहुंच सके। जैसे गोहाना रोहतक से 19 मील पड़ता है और गोहाने वालों को कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी लगती है इसलिये उनको काफी दूर जाना पड़ता है इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो नजदीक के इलाके हैं अगर वे इसके साथ ऐफिलियेट हो जाएं तभी फायदा होगा। रोहतक में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग बहुत पुरानी मांग थी क्योंकि ऐजुकेशन के क्षेत्र में रोहतक हरियाणा के सब जिलों से आगे है इसलिये इस चीज को देखते हुए सरकार ने इस मांग को मान लिया है जिसके लिये मैं एक बार फिर सरकार को मुबारिकबाद देता हूं।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीबादाक): स्पीकर साहब, रोहतक यूनिवर्सिटी का बिल जो हमारे सामने आया है इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसने रोहतक जिले का ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा का नाम ऊंचा यिका है इसलिये में अपने चीफ मिनिस्टर साहब और ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब को दिन से मुबारिकबाद देता हूं। दूसरी अर्ज मेरी यह है कि जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब यूनिवर्सिटी में कौरसपौंडैंस कोर्स खुले हुए हैं उसी तरह से हमारे हरियाणा में भी ये कोर्स खुलने चाहियें। अब हमारे हरियाणा के स्टूडैंटस फौरसपौंडैस कोर्सिज के लिये बाहर की यूनिवर्सिटीज में दाखिला भरते हैं जिससे हमारे हरियाणा का पैसा बाहर जाता है। हमारा हिन्दुस्तान तो सारा एक ही है लेकिन फिर भी एक राज्य का पैसा अगर उसी राज्य में जाए तो ठीक रहता है। इसलिये हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज में कौरसपौंडैंस कोर्स

होना चाहिये जिससे हमारे फरीदाबाद को भी फायदा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बार–बार रिक्वैस्ट की है कि फरीदाबाद में एम. ए. की पढ़ाई के लिये ईवनिंग क्लासिज का प्रबन्ध नहीं है। ठीक है कि इस वक्त हमारे पास फंड्ज नहीं है लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जब भी मौका मिलेगा हम यह कर देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी हरियाणा सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हर तरह से फरीदाबाद की तरक्की चाहते हैं। तो अगर कौरसपौंडैस कोर्सिज शुरू हो जाएं तो इससे फरीदाबाद के लेकर तबके को बड़ा फायदा पहुंचेगा क्योंकि अब लेबर क्लास को बड़े खर्च का सामना करना पड़ता है। आज जनता चाहती है कि हम हायर ऐजूकेशन ले लेकिन खर्चे के डर से स्टूडैंटस घर बैठ जाते हैं। इसलिये एक बार फिर मैं चीफ मिनिस्टर साहब और ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज में हर किस्म का कौरसपौंडैंस कोर्स खोल दें। दूसरी बात की खुशी मुझे यह हुई कि बी.एड. में जो दाखिला हो रहा है उसमें हरियाणा के डौमिसाइल को प्रैफरैंस दिया जा रहा है, बाहर के लोग आकर अब दाखिला नहीं ले सकते। पहले हरियाणा के लोग दाखिला लेने में महरूम रह जाते थे। पहले सिर्फ उन्हीं को दाखिला मिलता था उनकी सिफारिश होती थी और बगैर सिफारिश वाले बेचारे रह जाते थे। इसलिये यह जो डौमिसाइल वाली बात कर दी है इसके लिये मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब ओर चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि दूसरे कालेजों में भी दाखिले के लिये ऐसी ही नीति

अपनाई जाए ताकि लोग कम खर्चे से हायर ऐजुकेशन ले सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): आदरणीय स्पीकर साहब, मैं रोहतक में यूनिवर्सिटी बनाये जाने के बिल का स्वागत करता हूं और ऐजूकेशन मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब को इसके लिये मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि इससे जहां रोहतक की डिवैल्पमैंट होगी वहां स्टूडैंट्स को भी बड़ा सहूलियत मिलेंगी। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं जोकि रोहतब यूनिवर्सिटी के भले की बात है। मैं यह चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो तजुरबेकार स्टाफ है उसको रोहतक में ले लिया जाए क्योंकि नई यूनिवर्सिटी होने की वजह से तजुर्बेकार स्टाफ उसकी कामयाबी में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जिन तजुरबेकार भाइयों ने कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से जमाया है उनको रोहतक में जरूर भेजा जाए ताकि वे रोहतक की भी सेवा कर सकें। चीफ मिनिस्टर साहब और ऐजूकेशन मिनिस्टर साहब से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे इस सुझाव को जरूर मानेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सदन के सामने जो रोहतक यूनिवर्सिटी का बिल पेश है मैं इसका स्वागत करने के लिये खड़ हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि बहुत पहले से रोहतक ऐजूकेशन का गढ़ है। रोहतक जिले में

कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां तीन मील के फासले पर हाई स्कूल न हो और हर गांव में मिडल स्कूल न हो। रोहतक में जितने कालेज हैं सारे हरियाणा में किसी शहर में इतने कालेज नहीं हैं। यह मांग बहुत देर से चली आ रही थी कि रोहतक में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अब इस मांग को मन्जूर करके वहां के लोगों की सही मायनों में तर्जमानी की गई है। इसका क्रैडिट हमारे ऐजूकेशन मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब हो जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से यह हुआ है। यह एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज, कालेजिज और स्कूल्ज ये तो खुलते रहेंगे लेकिन जिस बुनियाद पर ये यूनिवर्सिटीज खड़ी हैं उस बुनियाद की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये। ऐजुकेशन सिस्टम जो हमारे स्कूल्ज और कालेजिज में है उसका स्तर बिगड़ता ही जा रहा है। इस तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज और कालेजिज से जो नौजवान निकलते हैं अगर वे ऐसे बनकर निकलते हैं कि वे नेशन बिल्डर्ज की बजाये डेस्ट्रक्टिव रोल अदा करते हैं तो यह बात ठीक नहीं है और ऐसे ऐजूकेशन सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। इसलिये यह यूनिवर्सिटी बनाकर अगर वहां के लोगों के हित की बात सोची गई है तो इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ओर कालेज ऐजूकेशन सिस्टम की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि वहां से जो नौजवान तालीक लेकर निकले वे इतनी बढ़िया अभ्म बन कर निकलें कि सर्विसिज में जाकर या किसी भी शोबे में जाकर वे हर पहलू में बेहतरीन रोल अदा करें।

इसके साथ साथ एक और दरखास्त करना चाहता हूं और वह यह कि भिवानी, महेन्द्रगढ़ और गुडगावं के जिलों को भी इसी यूनिवर्सिटी से ऐफिलियेट किया जाये ताकि उनको सारी सहूलियत मिल सकें। एक बात गर्ग साहब ने बड़ी बेहतर कही है कि जो तजुर्वेकार स्टाफ कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी में लगा हुआ है, जिसने काफी तजुर्बा हासिल कर रखा है, उसे इस यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाये। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि उनको भी तो उस तजुर्वेकार स्टाफ की जरूरत होगी। इसलिये वह अपने उस तजुर्वेकार स्टाफ को वहां ही रहने दें। (हंसी) अरग वे वहां पर ठीक नहीं हैं तो इधर आकर भी तो गड़बड़ ही करेंगे। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि रोहतक यूनिवर्सिटी में ऐसा स्टाफ रखा जाये तो बेहतरीन किस्म का हो, जो वहां रचनात्मक काम कर सके। आज हमारे देश में कैरैक्टर बिल्डिंग की बहुत जरूरत है और इसके लिये हमारे स्कूल्ज कालेजिज और यूनिवर्सिटीज बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर कैरैक्टर है तो सब कुछ है। अंग्रेजी में इस बारे में कहावत आती है कि

"If wealth is lost, nothing is lost, if health is lost, something is lost and if character is lost, everything is lost."

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी नेशन का करैक्टर खत्म हो जाता है तो कोई चीज बाकी नहीं रहती है और नेशन का पतन हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि करैक्टर बनाने के लिये हमारे स्कूल्ज और कालेजिजि बेहतरीन रोल अदा कर

सकते हैं और इस तरह ध्यान दिया जाये कि वह यह रोल अच्छी तरह से अदा करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े।

Mr. Speaker: Question is –

That the Rohtak University Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of Clause 1.

Mr. Speaker: Question is –

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 26

Mr. Speaker: As there are no amendments to clause 2 to 26, I will put these together.

Question is –

That clause 2 to 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1.

Mr. Speaker: Question is –

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I beg to move –

That the Rohtak University Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Rohtak University Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Rohtak University Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस बिल, 1975

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to introduce the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1975.

I also beg to move –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा – अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, यह निहायत ही बेहतरीन बिल सदन के सामने पेश है और मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके आबजैक्ट्स ऐंड रीजन्ज में यह दिया है:

"It is principle of State policy to liquidate in stages rurla indebtedness and thereby help the weaker sections of society. Pending the enactment of legislation to achieve this objective, it is considered imperative to place a moratorium on all actions for the recovery of such loans. This bill bars the institution of all suits for the recovery of a debt as defined and stays all pending suits for a period of one year with powers to the Government to extend this period from time to time to two years in the aggregate."

स्पीकर साहब, एक वक्त था जब देहात के अन्दर किसान टोटली वहां के साहूकारों से कर्ज लेते थे और सारा साल अपने खून पसीने की कमाई करते थे और प्रोडक्शन करते थे वह सारी कमाई वे कर्जे की अदायगी में साहूकार को दे देते थे लेकिन इसके देने के बाद भी कर्ज ज्यों का त्यों उनके सिर पर रहता था क्योंकि सब कुछ सूद में ही पूरा हो जाता था। उस वक्त चौ. छोटू राम ने इस बात की तरफ ध्यान देकर देहातियों को साहूकारों से छुड़ाया था और उनको रिलीफ दिया था। तो आज भी इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि देहात के

अन्दर जो बगैर लाइसैंस के मनी लैंडिग का काम चलता है और लोगों को भारी शरह पर कर्ज दिया जाता है जिसे की पुश्तों तक वे अदा नहीं कर सकते उसकी तरफ ध्यान दिया जाये। इसके साथ साथ दो बातें इस बारे में मैं और बताना चाहता हूं। जहां मनी लैडर्ज से गरीब लोगों को देहातियों को बचाने की जरूरत है वहां उनको इस बारे में फैसिलिटीज देने की की भी जरूरत है। जिस तरह अर्बन एरिया में कारखानेदारों को उनकी अपनी जायदाद और कानखाने के मुताबिक बैंक में ऐम.सी.ऐल. बनाया जाता है और कर्ज की हद मुकर्रर की जाती है ओर उसके मुताबिक वह जब चाहे कर्ज लकर अपना काम कर सकता है और उसे बीच में किसी बिचौले की जरूरत नहीं पडती इसी तरह से देहात के अन्दर भी किया जाये कि किसान की उसकी अपनी होल्डिंग के मुताबिक कर्ज की हद मुकरर्र कर दी जाये ताकि बिचौलों से उसकी जान छूटे और पटवारियों बगैरा के चुंगल से उसकी जान बचे। ऐसा हो कि जो पास बुक्स जमीन के बारे में आपने उनको दे रखी हैं उनको बैंक की पास बुक मान लिया जाये और उसमें उसकी जमीन के मुताबिक कर्ज लेने की हद मुकर्रर हो दर्ज हो जिसे दिखाकर वह जब चाहे बैंक में उसे दिखा कर कर्ज ले सके। जिस तरह से कारखानेदार की उसकी जायदाद के मुताबिक कर्ज लेने की हद मुकरर्र होती है उसी तहर से इनकी भी होनी चाहिये। इस तरह से वह बिचौलों से बच जायेगा लैंड मारगेज बैंक के चक्कर काटने से बच जायेगा और पटवारी से फर्द लैने के लिये उसके पास जाने से उसकी जान बच जायेगी। जब तक ऐसा नहीं यिका

जाता तब तक इन नैशनेलाइजड बैंकस की गांव में ब्रांचें खोलने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट बैंक वालों ने एक ब्रांच उमरा गांव में खोल दी लेकिन जब तब किसान के लिये कर्ज की हद न मुकरर्र हो जाये और जब तक स्टेट बैंक किसान को उसकी जमीन के आधार पर कर्ज न दे तो उस वक्त तक गरीब किसान को उस बैंक के खोल देने से कोई फायदा नहीं हो सकता और वह उसके पास से भी नहीं गुजरता क्योंकि उसे तो वहां से कुछ सहायता मिलनी नहीं है। न वे किसान का पैसा जमा करने की बात करते हैं और न बैंक किसान को पैसे देने की फैसिलिटी देता है। इसलिए अगर स्टेट बैंक किसान को अकौडिंग टू होल्डिंग बैक से लोन देगा ता किसान अपने घर में रखी हुई पूंजी को जो उसके घर में बचेगी बैंक में जमा करवा देगा क्योंकि बैंक से ही कर्जा लेगा और बैंक में ही जमा करवाएगा। इसके अलावा लैंडलैस को, ऐग्रीकल्चरल लेबर को, जिसके लिस इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, जिसके पास दो एकड़ से भी कम जमीन है और वह एग्रीकल्चरल लेबर जिसको स्माल इंडस्ट्रियल, यूनिट स्टार्ट करके अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, उसको लोन नहीं मिलता क्योंकि बैंक सिक्योरिटी मांगता है और वह सिक्योरिटी कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता। ऐसे लैंडलैस ऐग्रीकल्चररिस्ट को उसकी पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर लोन मिलना चाहिए। उसकी पर्सनल सिक्योरिटी क्या है? वह है उसका प्लाट, उसकी जमीन, उसकी अपनी जायदाद जिसके अगेन्स्ट उसको लोन दिया जाए। अगर उसकी 30 हजार या 15

हजार रूपये की प्रौपर्टी है तो उसक अगेन्स्ट उसे 10 या 15 हजार यानी प्रौपर्टी का 50 परसैंट लोन दे दे और उससे प्लैज करवा लिया जाए कि जो मशीनरी वह लगाएगा इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए उसके अगेन्स्ट अपनी जायदाद गिरवी रखे और प्लैज करे। मैं यह सुझाव आपके सामने इस बिल में देना चाहता हूं क्योंकि आज जो लोन देहातों में दिया जाता है वह मनीलैंडर का नहीं है बल्कि सरकार का है। जिस तरह से पहले जमीदार लोन साहूकार से लेते थे उसी तरह से बैंक का लोन है, सरकार का लोन है। बैंक की तरफ से जब तक जमींदार को पूरी फैसिलिटी नहीं होगी, किसान को पूरा फायदा नहीं हो सकता। इस कर्जे के अगेन्स्ट इन्ट्रैस्ट इतना ही होना चाहिए जितना शहर के फैक्ट्री ओनर देते हैं। बैंकों के इस हिसाब से देहातों को लोन फैसिलिटी मिलनी चाहिए और ज्यादा इन्ट्रैस्ट नहीं लेना चाहिए। इसमें मार्जनल फार्मर की डैफिनीशन यह दी है –

"marginal farmer' means a person who owns agricultural land not exceeding one hectare and whose principle means of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on agricultural land or from production or repair of traditional tools, implements and other articles ....."

इसकी जगह एक हैक्टेयर की बजाए अगर 5 एकड़ कर दें तो ज्यादा लाभ हो जाएगा और इस डैफिनीशन में ज्यादा

किसान कवर–अप हो जाएंगे। ''स्माल फार्मर'' की डैफिनीशन में लिखा है–

"small farmer' means a person who owns agricultural land exceeding one hectare but not exceeding two hectares and whose principle means of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on agricultural land or from production or repair of traditional tools, implements and other articles ....."

इसलिए स्पीकर साहब, आज समाजवाद लाने के लिए और गरीबी हटाने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वे इसी तरह के ला लाने से हटाए जा सकते हैं, इसके सिवाये और कोई तरीका नहीं है। इन कानूनों को अमलीजामा पहनाने के लिए दृढ़ता से ओर मजबूत हाथों से काम करना होगा। मैं समझता हूं इस प्रकार के बिल लाकर गरीबों को और छोटे किसानों को राहत मिलेगी। इस प्रकार के बिल यू.पी. और दूसी स्टेटें में आये हैं और आम तौर पर हमने देखा है कि उन पर कमैंट्स आते रहते हैं कि जो कर्जे से रिलीफ लेना चाहता है वह कोर्ट में दावा करे। बल्कि चाहिए यह कि कर्जा वसूल करने वाले का दावा मन्जूर ही न किया जाए और सोओ मोटो कार्यवाही की जाए। बिल के स्टेटमैंट्स आफ औबजैक्ट्स में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर चलना चाहिए, इजरा की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इतना बेहतर बिल लाकर जो गरीब जनता को राहत दी है और इस पर जो मैंने सुझाव दिए हैं

कि किसान को अकौडिंग टू होल्डिंग फैसिलिटी दी जाए और लैंडलैस लेबर को, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी पर लोन एडवांस किया जाए ताकि वह स्माल स्केल यूनिट सैट–आप करके अपने पावों पर खड़ा हो सके। यही दो शोबे हैं जिनसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमैंट मिल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसको बहुत जोश के साथ वैलकम नहीं कर रहा, सिवायचे इसके कि इसमें गवर्नमैंट की इन्टैन्शन यह है .....

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): वैलकम तो कर ही रहे हो? (हंसी)

चौ. प्रताप सिंह दौलता: वैलकम तो मैं करता ही हूं। मैं जोश से इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें न तो इंदिरा की रूह चमक रही है और न बंसी लाल की रूह चमक रही है। ये तो बिजली की तरह पड़ा करते हैं, लेकिन इसमें वह बिजली वाली बात है नहीं। इस बिल के मुताबिक एक साल के लिए लोन–रिक्वरी को पोस्टपोन किया है लेकिन यह प्रोवीजन नहीं है कि आया इस साल में जो रिकवरी पोस्टपोन हो गई है उस पर बैंक–इन्ट्रैस्ट, कोआप्रेटिव–इन्ट्रैस्ट या प्राईवेट लोगों के कर्जे का इन्ट्रैस्ट देना है या नहीं। इसमें तो सिर्फ रिकवरी की पोस्टपोनमैंट

है। अगली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह रीयलाइजेशन आफ डैट हो रही है, इस पर मैं एक गांव की मिसाल देना चाहता हूं। पता नहीं इस मिसाल पर शायद मैं गलत हो जाऊं क्योंकि शिकायतें तो बहुत आती हैं। पटवारी की मौजूदगी में एक लोन वापिस दिया गया और पटवारी से रसीद दिला दी ....(व्यवधान) वह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, सरकार ने तो कुछ भी अपने पास से नहीं किया ....(व्यवधान) मैं गुलाब सिंह का नाम नहीं लेता। स्पीकर साहब रूरल इकोनोमी यह है कि मनीलैंडर ज्यादातर किसान हैं। कोई सियाना आदमी, श्री गुलाब सिंह जैसा कोई इंटैलिजैंट आदमी गांव के आदमी को लोन नहीं देगा स्पीकर साहब, अब रूरल इकोनोमी यह है कि money-lender is mostly the agriculturist. They advance loans to the land-less labourers. Today the position is this. श्री गुलाबसिंह जैसा कोई सियाना आदमी आज कल गांव के आदमी को लोन देने का काम नहीं करता। तो यह जो रिलीफ है यह तमाम का तमाम उन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास की कौस्ट पर है जो इसके इवज में यह सोच कर लोन देते हैं कि यह लेबर उसे साल भर काम करने के लिए मिल जाएगी। मगर इसका नतीजा यह होगा कि लेबर न तो काम पर आएगी और उल्टा किसान को कर्जे में डुबो देगी। तो स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि इन स्टेटस को जल्दी से जल्दी इस किस्म का कानून लाना चाहिए ताकि जो लैंडलैस लेबर की डैफिनीशन में लेबर पड़ते हैं उनको रिलीफ मिले। यह एक बड़ी फिट डैफिनीशन है। जहां तक इस डैफिनीशन की ड्राफटिंग का

ताल्लुक है, इसमें कोई पुलिटिकल झलक नहीं है जो लीडर आफ दी हाउस या लीडर आफ दी नेशन की 'विल' को रिप्रेजैट करती हो। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। जो लैंडलैस लेबर है जिसके पास कुछ नहीं है, जो कर्जे में डूबा हुआ है, उसका कर्जा एकदम खत्म किया जाए। यह अब कांस्टीच्युशनली चैलेंज नहीं हो सकेगा। क्योंकि आज जो शडयूल में अमैंडमैंट हो रही है, उसके तहत यह मामला कोर्ट में नहीं जा सकता। शडयूल 9 में यह अमैंडमैंट पुट कर देने के बाद, क्योंकि यह लैंड रिफार्मज ऐक्ट है, रिलीफ ऐक्ट है, यह अब कोर्टस में चैलेंज नहीं हो सकता।

स्पीकर साहब, हरिजन से मेरा मतलब है जो डिफाइंड हरिजन है। स्पीकर साहब, आर्टिजन की यहां पर डैफिनीशन दी हुई है लेकिन मैं नहीं कहता कि सारे आर्टिजनज इस डैफिनीशन में कवर होते हैं। एक आर्टिजन यानी एक तरखान जो 16 रूपये दिन का ले रहा है, वह गावं के सो–काल्ड साहूकार से या महाजन से ज्यादा खुशहाल है क्योंकि जो आदमी 16 रूपये पर–डे लेता हो और उसके चार बच्चे हों और वे चारों के चारों काम पर जाते हों तो एक दिन की आमदनी 64 रूपये हो जाती है। 64 रूपये वे एक दिन के कमा कर लाते हैं जबकि एक जज की तन्खाह 100 रूपये रोज की है। तो यह जो आर्टिजन की डैफिनीशन है, यह नान–इकनौमिक डैफिनीशन है क्योंकि तमाम हरिजन गरीब नहीं हैं और तमाम लैड होल्डर अमीर नहीं हैं। आर्टिजन की डैफिनीशन में

वे लोग भी आते हैं जो गरीब नहीं हैं और तमाम लैंड होल्डर अमीर नहीं हैं, इस पर गवर्नमैंट जरा गौर करे।

स्पीकर साहब, तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मेरे वे साथी जो अभी बोल रहे थे, मुझे मुआफ करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमैंट इस कर्जे की सहूलियत ज्यादा न दे इन देहातों को। स्पीकर महोदय, इस कर्जे की सहूलियत ने देहात को बर्बाद करके रख दिया है। जीपें जाती हैं कर्जा ऐडवांस करने के लिए, उनको अल्योरमेंट देते हैं लेकिन उन्होंने ये कर्जे वापिस भी करने हैं। जिनकी लैंड ही नहीं है उनसे आप रियलाईज कैसे करेंगे। लैंडलैंस के लिए देहात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, वह चाहे जितनी मर्जी कर्जा ले, इस गवर्नमैंट को ठगे या प्राईवेट आदमियों को ठगे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जिन जमीदारों को बहुत ज्यादा सहूलियतें दे दीं, वे फंस चुके हैं। आज के दिन हरियाणा के अन्दर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। मैं पंजाब के बारे में भी वाकिफ हूं। क्योंकि मुझे उनके मुकदमें करने होते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि आज के दिन रूरल एरिया में इतना जमींदार का एक–एक बीघा कर्जे के अन्दर डूबा हुआ है जिसकी तादाद कहीं ज्यादा है उस तादाद से, जब चौधरी माडू सिंह डैट कंसिलिएशन बोर्ड के मैम्बर थे। बेशक इस डाटा को आप मंगवा कर गौर से देख लें। आज जमीन का चप्पा चप्पा मकरूज है कर्जे के अन्दर। बैंकों की फैसिलिटीज जितनी ज्यादा आप देंगे सारी को वे इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यह

फैसिलिटीज जरा यदि आप मोहतात होकर ही दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरी यह अर्ज है।

रियलाइजेशन के बारे में मैं यह कहूंगा कि जहां कही पटवारी ने रसीद दे दी, वह रसीद गवर्नमैंट की तरफ से समझी जाए। ऐसी एक बात मैं डी.सी. रोहतक के नोटिस में लाया और अब मैं हाउस के नोटिस में ला रहा हूं। जब गांव के सब लोगों ने पैसा दे दिया और पटवारी ने उसकी रसीद दे दी तो यह कहना कि गवर्नमैंट के खजाने में चूंकि पैसा दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए पटवारी को तो सस्पैंड कर देंगे, सजा दे देंगे लेकिन गांव वाले उस पैसे को दोबारा पे करें। यह बात ठीक नहीं। पटवारी तो हमारे लिए रैवेन्यू मिनिस्टर ही है गांव में। जहां पटवारी की रसीद है वह गवर्नमैंट की रसीद समझी जाए और लोगों से दोबारा पैसा रियलाईज न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने तो पैसे इकट्ठे नहीं किए। दौलता साहब ने कहा कि उनके लिए तो पटवारी भी रैवेन्यू मिनिस्टर है।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, रैवेन्यू मिनिस्टर तो हमारे नुमायदे हैं। लेकिन फाइनेंशियल कमिश्नर तथा रैवेन्यू सैक्रेटरी ऐग्जक्टिव के लास्ट हैड हैं। पटवारी से लेकर फाइनैंशियल कमिश्नर तक सारी गवर्नमैंट एक ही है। पटवारी सबसे ज्यादा इम्पाटैंट पार्ट है,

यह दूसरी बात है कि उसको तन्खाह कम मिलती है। दस्तखत करने वालों को इस राज में तन्खाह ज्यादा मिलती है। परन्तु गरीब को कम मिलती है। पटवीर 24 घंटे का मुलाजिम है। पटवारखाने में जितनी मेहनत वह करता है, जिस रिकार्ड को वह देखता है, उस रिकार्ड को अगर वकील हाई कोर्ट वाले देखें तो वे दो हजार से कम फीस न लें। मैं पटवारी की बड़ी इम्पोटैंस समझता हूं इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में। मैं बड़ी रिस्पैक्ट करता हूं पटवारी की। उस पटवारी ने जब गांव में जाकर रसीद दे दी ओर पेमैंट पटवारी को गांव कर दे, तहसीलदार की मौजूदगी में करे या किसी दूसरे अफसर की मौजूदगी में करे, तो गवर्नमैंट यह स्टैंड नहीं ले सकती कि पेमैंट अभी तक नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल हाउस के सामने है यह बहुत अहम है क्योंकि जो गरीब आदमी देहात में बसता है, चाहे वह मजदूर है, चाहे आर्टिजन है चाहे छोटा किसान है वह कर्जे में दबा हुआ है। यहां तक भी सुना जाता है कि बहुत से गरीब आदमी तो इस कर्जे से बरबाद होकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं और उनके बच्चे बेचारे पीछे भूखे मरते हैं। यह कर्जा भी अजीब किस्म का है। देहात में आप जानते हैं ऐसा देखने में आता है कि कर्जा तो दादा ने लिया होता है लेकिन उसकी सन्तान, उसके पोते ओर पड़पोते तक उसे चुका नहीं पाते। वे बेचारे साहूकारकी मजदूरी करते चले आ रहे हैं मगर

कर्जा वही का वहीं खड़ा है। वह तो शैतान की आंत बन गया है, वह खतम होने में ही नहीं आता। यह भी खतम होना चाहिए। ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि जो कर्जा दिया गया था अगर उसका सूद दे दिया गया है तो वह कर्जा भी खतम हो जाना चाहिए यह नहीं कि केवल एक साल के लिए ही उसे मुल्तवी कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि हमारी प्रधानमंत्री का जो 20 सूत्री प्रोग्राम है उसका यह एक हिस्सा है। वे चाहती हैं कि गरीब आदमी को सहारा मिले, राहत मिले और उसको दु:ख न हो। यह नहीं होना चाहिए कि पेट पालने के लिए जो वह काम करें, इससे उसे जो मजदूरी मिले वह साहूकार के यहां चली जाए। यहां आज ऐसा होता है कि जितनी आमदनी व कर्जा वह लाता है, चाहे वह मकान बनाने के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, वह साहूकार ले लेता है लेकिन जब उसकी वापसी का वक्त आता है वह अपने आपको हवालात में पाता है। लाता तो वह अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए है लेकिन उसे ले जाता साहूकार है, जिसका वह मुनाफे का पैसा है, जिसको उनके बाप दादा ने दिया था और जिसका दस–दस बीस–बीस गुणा सूद वह ले चुका है। तो ऐसा कर्जा भी माफ होना चाहिए। यह जो बिल लाया गया है इसके लिए मैं हरियाणा गवर्नमैंट को मुबारिकबाद देना चाहता हूं लेकिन साथ ही यह अर्ज भी करना चाहता हूं कि यह राहत जो गरीब को दी गई है यह केवल एक साल के लिए ही नहीं बल्कि पक्की होनी चाहिए ताकि उसको आयंदा किसी किस्म की दिक्कत न हो।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब, हाउस के सामने हरियाणा रिलीफ आफ ऐग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस बिल, 1975 पेश है। इस पर बोलते हुए गांव के साहूकार का जिक्र किया गया। आमतौर पर जब साहूकार का जिक्र आता है तो उसके साथ महाजन साहूकार का मतलब ले लिया जाता है। मैं, स्पीकर साहब, आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि आज हरियाणा के देहात के अन्दर जहां तक मनी लैंडिग का ताल्लुक है वह कुछ दूसरी शक्त अख्तियार किए हुए है और यह अगर कहूं कि स्टैटेस्टिक्स यदि गवर्नमैंट इकट्ठी करे तो सिविल सूटस आज मनी लैंडिग की वसूली के लिए शायद शाजोनाजर ही होंगे। यह जो मोरेटोरियम प्लेस किया है कि सिविल सूटस नहीं होंगे, डिक्रीज एक्सिक्यूट नहीं होंगी, इस किस्म की प्रौब्लम हरियाणा में शायद ही हो, ऐसा मुझे मालूम होता है। दरअसल यहां पर जो मनी लैडिंग है आज उस तरह की नहीं है जैसी मेरे दोस्त दौलता साहब ने कही थी। आज तो लठैत मनी लैडर हो गया है। वह वसूली भी लठ के जोर पर करता है। वह सरकारी सिविल कोर्टस के जोर पर नहीं करता। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि उस लठैत का क्या इंतजार करे। सरकार कुछ कर सके तो देख ले।

दूसरी बात मेरे भाई अमर सिंह ने बोलते हुए कही। मैं उनसे मोअदबाना गुजारिश यह करूंगा कि आज देहात के साथ नेशनेलाइज्ड बैंकस के द्वारा लोन देने में कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होती। मुझे तजुरूबे से पता है कि जब बैंक नेशनेलाइज हुए तो

उन्होंने क्रौप लोन देना शुरू किया और करोड़ों की रकम में दिया है। फिर उन्होंने यह जो कहा कि शहरों में फैक्टरी लगाने वालों को लोन जल्दी मिल जाता है यह बात भी कुछ ठीक नहीं जचती। यह बात भी शायद उनकी इंफर्मेशन में नहीं है कि जिस तरीके से वे समझते हैं उतनी आसानी से शहरों में फैक्टरी लगाने वालों को लोन मिलता नहीं है। लिमिट जो वे कहते हैं कि मुकर्रर होती है वह बात भी मेरी समझ में नहीं आई। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि काफी कुछ छानबीन के बाद, साल साल, डेढ़ डेढ़ साल के बाद लोन सैन्कशन होता है। देहात में तो दरअसल इस वक्त जो मूड बना हुआ है उसके मुताबिक लोन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन उस लोन का मिस–यूज ज्यादा है। उसकी वजह से फजूलखर्ची भी बढ़ रही है। वहां लोन को चैनेलाइजेशन जो है वह प्रौपर नहीं है, मैं यह बात, स्पीकर साहब, आपके द्वारा सदन के सामने कहना चाहता हूं।

स्पीकर साहब, दरअसल जो प्रौब्लम है वह है गवर्नमैंट लोन की। जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज हैं, जो दूसरे गवर्नमैंट इंस्टीच्युशंज हैं, उनकी तरफ गवर्नमैंट को ध्यान देना चाहिए। मैं उसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन वह एक प्रौब्लम बनी हुई है मेरे देहात के भाईयों के लिए। गवर्नमैंट को उसको लिक्वीडेट करने या कोई फैसिलिटीज देने का प्रबन्ध करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

चौ. अब्दुर्र रज्जाक खां (फिरोजपुर झिरका): स्पीकर साहब, किसानों को कर्जे से राहत दिलाने के लिए जो बिल हाउस में पेश किया गया है इसके बारे में मैं चन्द अलफाज में दो मोटी–मोटी बातें अर्ज करूंगा। आज देहात में, छोटे छोटे कस्बाजात में जो साहूकार लेन देन करते हैं उनमें से एक के पास भी साहूकारा लाईसैंस नहीं है। सरकार अगर यह तरमीम मंजूर कर ले कि जो लेन देन करे उनके पास साहूकारा लाईसैंस होना चाहिए और उसकी बाकायदा एक शरह मुकर्रर होनी चाहिए कि इतना सूद ले सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। हसमें यह भी कह देना चाहिए कि जब असल रकम के आधे के बराबर कोई सूद दे दे तो उस कर्जे को खतम कर देना चाहिए। ऐसे कर्जे जो सिर्फ एक साल के लिए मुल्तवी किये जा रहे हैं इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात जो मैंने अर्ज की है कि अगर कोई बिना लाईसैंस के ऐसा कारोबार करे तो उन पर सख्त पाबन्दी लगा दी जाये तभी लोगों को इसका फायदा हो सकेगा, राहत मिल सकेगी। इस कानून का मन्शा ही इसी तरह से पूरा हो सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताइद करता हूं।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, I have listened with rapt attention the views expressed by the hon. Members of this House. The reference to the statement of objects and reasons will make every thing clear. It did not need such a detailed discussion. The statement of objects and reasons says –

"It is a principle of State policy to liquidate in stages rural indebtedness and thereby help the weaker sections of society. Pending the enactment of legislation to achieve this objective, it is considered imperative to place a moratorium on all actions for the recovery of such loans. This bill bars the institution of all suits for the recovery of a debt as defind and says all pending suits for a period of one year ....." etc. etc.

So, this is just a temporary relief. Truly speaking, after the twenty points programme was announced by the Prime Minister, the Government had taken a decision to give relief to the poor and the down-trodden and we will have to make an exhaustive enactment for the purpose. It is just a temporary relief to put a moratorium and it did not need much discussion. I would, therefore, request that the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of clause 1.

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1.

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउ सिज आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1975

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill, 1975.

I also beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Clause 2

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): I have to move an amendment to this clause.

I beg to move –

That in clause 2, part (a), for the words “fifty-five rupees” the words “fifty-one rupees” be substituted.

Mr. Speaker: Motion move –

That in clause 2, part (a), for the words “fifty-five rupees” the words “fifty-one rupees” be substituted.

Mr. Speaker: Question is –

That in clause 2, part (a), for the words “fifty-five rupees” the words “fifty-one rupees” be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That in clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): I have to move an amendment for the insertion of new clause 3 after clause 2.

I beg to ask for leave to move –

That after clause 2, the following new clause shall be inserted; namely:-

"3. In section 6 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Act, 1975 –

(a) In sub-section (3), for the words "fifty rupees" wherever occurring, the words "one hundred rupees" shall be substituted; and

(b) the following Explanation shall be added at the end:-

'Explanation :- For the purposes of sub-sections (2) and (3), a Member shall include the Chief Minister, a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, the Speaker, the Deputy Speaker, the Chief Parliamentary Secretary and a Parliamentary Secretary."

Mr. Speaker: Question is –

That leave be granted to move an amendment for the insertion of new clause 3 after clause 2.

The leave was granted.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That after clause 2, the following new clause shall be inserted; namely:-

"3. In section 6 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Act, 1975 –

(a) In sub-section (3), for the words "fifty rupees" wherever occurring, the words "one hundred rupees" shall be substituted; and

(b) the following Explanation shall be added at the end:-

'Explanation :- For the purposes of sub-sections (2) and (3), a Member shall include the Chief Minister, a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, the Speaker, the Deputy Speaker, the Chief Parliamentary Secretary and a Parliamentary Secretary."

Mr. Speaker: Motion moved –

That after clause 2, the following new clause shall be inserted; namely:-

"3. In section 6 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Act, 1975 –

(a) In sub-section (3), for the words “fifty rupees” wherever occurring, the words “one hundred rupees” shall be substituted; and

(b) the following Explanation shall be added at the end:-

‘Explanation :- For the purposes of sub-sections (2) and (3), a Member shall include the Chief Minister, a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, the Speaker, the Deputy Speaker, the Chief Parliamentary Secretary and a Parliamentary Secretary.”

Mr. Speaker: Question is –

That new clause 3 be considered.

The question was affirmed.

Mr. Speaker: Question is –

That after clause 2, the following new clause shall be inserted; namely:-

“3. In section 6 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Act, 1975 –

(a) In sub-section (3), for the words “fifty rupees” wherever occurring, the words “one hundred rupees” shall be substituted; and

(b) the following Explanation shall be added at the end:-

'Explanation :- For the purposes of sub-sections (2) and (3), a Member shall include the Chief Minister, a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, the Speaker, the Deputy Speaker, the Chief Parliamentary Secretary and a Parliamentary Secretary."

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Second Amendment Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: I have received three telegrams from hon. Members for leave of absence.

I have received the following telegram from Ch. Dal Singh, M.L.A.

"Grant Leave from Absentee 20 to 30 July and Ninth August".

Question is –

That permission be granted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: I have received the following telegrams from Sarvshri Devi Lal and Ram Lal, M.L.A.s :-

"Condone Absence from attendance of Assembly Sessions held 28th to 30th July, and commencing 9th August 1975 due to Detention under MISA".

Question is –

That permission be granted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: I have received the following telegrams from Ch. Phool Chand Rohat, M.L.A. –

"Failed attending sessions 28/7/75 to 1/8/75 and 9/8/75 onward lodged in Jail absence be condoned".

Question is –

That permission be granted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine-die.

***11.52 बजे**

(The Sabha then* adjourned sine-die.)